मार्च २०२१

उम्मीद के बीज

महिलाओं ने दिखाई बदलाव की राह

खंड ०४

'साधारण' लोगों के असाधारण कार्य की श्रृंखला से

Alternatives India
VIKALP sangam

क्रम सूची

परिचय 01

1. संकट में मिला मकाम का साथ 04

2. लोगों की आपसी सामाजिक एकजुटता का माडल 06

3. दाहोद, गुजरात में वनोत्पाद महिला संग्राहकों की आर्थिक एकता 09

4. स्थानीय उत्पादन व क्रय-विक्रय पर जोरः केरल के श्रीलक्ष्मी महिला संगठन ने दिखाई राह 12

5. महामारी में कोरची महासभा की पहल 15

6. संकट में जैविक खेती से बदलाव की ओर 18

7. महिला किसानों का खाद्य व कृषि से मुकाबला- कोविड-19 का जवाब 21

8. निर्मला की कहानी, अब हमारी पहचान मजदूर है 24

9. कोविड-19 संकट में यमुना खदार की महिला किसानों का जवाब 27

10. कोविड-19 में महिला किसानों का वैकल्पिक माडल 30

11. कोविड-19 लॉकडाउन और महिला किसान: हस्तक्षेप की जरूरत 33

12. कोविड -19 के मद्देनजर बाजरे का पुनरुत्थान 36

13. हापुड़ की महिला किसानों की आर्थिक एकता और आत्मनिर्भरता की यात्रा 39

आगे के लिए सबक 41

परिचय

मकाम के बारे में (MAKAAM)

मकाम, एक राष्ट्रीय गठबंधन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुई। इसमें महिला किसानों के अलावा, कुछ संगठन और नेटवर्क भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय किसान नीति 2007 की परिभाषा के तहत् महिला किसानों को मान्यता दिलाना सुनिश्चित करना है। जो कृषि से जुड़ी कई गतिविधियों में जैसे मजदूर, वन मजदूर, पशुपालन मजदूर आदि से संबद्ध हैं। इसके अलावा, मकाम (MAKAAM) की कोशिश होती है कि वह प्राकृतिक संसासनों से जुड़े महिलाओं के कामों में पितृसत्ता व अन्य सामाजिक- आर्थिक रूपों का बहुपरतीय विश्लेषण करे, जैसे वर्ग, जाति, धर्म इत्यादि का, और उसे सामने लाए।

पृष्ठभूमि

महामारी और तालाबंदी के साथ महिला किसानों के कई तबकों के बीच बड़ा संकट आया। जिसमें मूल सवाल बिना किसी भुगतान के महिलाओं का काम करना था, जो इससे पहले नहीं था। यह संकट तब और बढ़ा जब महिलाओं को वर्ग, पितृसत्ता, और अन्य सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ा। सामाजिक समूहों के बीच से हिंसा की बढ़ती घटनाओं की खबरें आईं। लेकिन, भारत के विविध समूहों की, महिला किसानों की स्थिति को भूख और आय में कमी ने बिगाड़ा। भोजन की कमी के दौरान काम के बोझ और काम के अभाव ने उनकी स्थिति को और खराब किया।

महिला किसान कई तरह की आजीविका गतिविधियां से जुड़ी हुई हैं, जैसे खेती, दिहाड़ी मजदूर, मत्स्य पालन, पशुधन, वन कार्य इत्यादि। महामारी के दौरान सभी क्षेत्र की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ा। उनके पास खेती करने के लिए लागत खर्च के पैसे नहीं थे। कई महिलाएं उनके खेती के उत्पाद नहीं बेच सकीं, उनके घरों में ही वह पड़ा रहा, क्योंकि उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। बहुत से उत्पाद नष्ट हो गए, क्योंकि बाजार तक उनकी पहुंच नहीं थी। बाजार बंद थे। अक्सर एकल महिला किसानों को न्यूनतम समर्थन नहीं मिल पाता, क्योंकि वे आमतौर पर निजी व्यवसायियों को उनका उत्पाद बेच देती हैं। पर तालाबंदी के दौरान दाम और कम मिले, जिससे खेती का लागत खर्च भी निकलना मुश्किल हो गया। इसी कारण, वनों से वनोपज (गैर काष्ठ वन उत्पाद) एकत्र करनेवाली महिलाएं भी उनकी वनोपज को नहीं बेच पाईं। महिलाओं ने बाजार की गतिविधियां सामूहिक रूप से शुरू की, किसान उत्पादक समूह भी साथ में आए, और फिर से साख व बाजार की मदद की ओर देखने लगे, जिससे यह गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहें।

तालाबंदी के दौरान रोजगार की बहुत जरूरत थी, पर सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) का काम दो महीने नहीं खुला। यानी इस दौरान बंद रहा। इससे संकट और बढ़ा। विशेषकर, उन एकल महिलाओं के लिए जो उनके परिवार में एकमात्र कमानेवाली हैं। इनमें से कई महिलाओं को मजदूरी के लिए प्रवासी मजदूरों से स्पर्धा करना पड़ा, जो तालाबंदी के दौरान शहरों से लौटे थे।

महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई राज्यों में मकाम की सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन बताते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) जैसे राहत कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किए थे, उनका लाभ अधिकांश महिला किसानों को नहीं मिला। दस्तावेजों का अभाव, बैंक खाता, जमीन का मालिकाना हक नहीं होना इत्यादि की वजह से महिला किसान राहत काम के पैमानों से बाहर हो गईं।

लेकिन यहां प्रस्तुत सभी कहानियां विरोध में नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद महिला किसानों की कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें भूख व कुपोषण का सामना एकजुटता व नवाचार के तरीके से किया गया।

कहानियों क्या बताती हैं

इस संकलन की कहानियों में महिलाओं की सामूहिक पहल हैं और खाद्य व रोजगार के अवसरों आगे ले जाने लिए आगामी राह भी सुनिश्चित करती हैं।

यहां 13 उदाहरण ऐसे हैं जहां महिलाओं ने एकजुटता व ग्राम सभाओं के माध्यम से और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से राहत कार्य को आगे बढ़ाया है। कभी वे सरकार द्वारा संचालित राहत कार्य में मदद करती हैं, और कभी वे स्थानीय, राज्य व केन्द्र स्तर पर मजदूरी की लड़ाई में शामिल होती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें इससे राहत दी जानी चाहिए। यह सभी उदाहरण गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल, दिल्ली और उत्तरप्रदेश आदि राज्यों के हैं।

यह महिलाओं के नेतृत्व में चल रही जमीनी एकजुटता आधारित आर्थिक पहल हैं। यह कहानियां बताती हैं कि किस तरह साधारण लोगों ने असाधारण भूमिका निभाई है। राहत व मजदूरी के विस्तार में, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में, और स्थानीय समुदाय को एकजुट करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

इस संकटकालीन समय में स्व प्रावधान, समुदाय की सुरक्षा, और एकजुटता की कई बार कोशिशें जरूरी हैं। इनमें से अधिकांश मामले अमौद्रिक और सामाजिक एकजुटता के हैं। इस दौरान, उदाहरण के लिए पैसे से अधिक वस्तुओं के आदान-प्रदान पर जोर था। पंचायतों आगे आईं और उन्होंने रोजगार सृजन के मौकों को सुनिश्चित किया, खाद्य के माध्यम से राहत कार्य का विस्तार किया। यह उदाहरण, हमें स्थान और मौके देते हैं। सामाजिक एकजुटता की ओर बढ़ने का अवसर देते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान कर सकें, और मौद्रिक लेन-देन पर ही भरोसा न करें।

इस दस्तावेज की अलग-अलग कहानियों में महामारी का सामना कैसे किया जाए, इस उपयोगी सोच पर चर्चा की गई है। हमारी सोच विकल्प की गैरमौजूदगी को अपनाने की सोच से परे है, यानी विकल्प हमेशा ही रहते हैं। महामारी का सामना करने और फिर से खड़े होने की नारीवादी समझ, सामाजिक न्याय और समान अधिकार की है। और संसाधनों की सम्पन्नता में इसके समाधान देखती है, जिससे नवाचार के रूप में सकारात्मक परिणाम आएं।

इन प्रतिकूल परिस्थितियों में महामारी से मुकाबला करने में मानवीय अनुभव की उपयोगिता है, और नीतियों व व्यवहार के लिए बहुत यह अनुभव जानकारीपरक हैं।

महामारी का सामना करने के लिए नारीवादी सोच में मध्यस्थता की प्रक्रिया की मान्यता है, जिससे महामारी के संकटकालीन व प्रतिकूल समय में इसका सामना किया जा सके। पर समाज, पहले से ही मौजूद जाति, पितृसत्ता, वर्ग में संगठित है।

यह अध्ययन बताता है कि महामारी का सामना करने और नवाचार की योग्यता की राह, हमें महिला सशक्तीकरण की व्यापक प्रक्रिया से जोड़ती है। इसमें प्रत्येक पहल बताती है कि समुदाय व संगठन किस तरह आपसी पारस्परिक प्रक्रिया के साथ समृद्ध होते जाते हैं।

आगे की राह

यह गठबंधन दो स्तर पर कार्यरत है, जमीनी स्तर पर राहत कार्य में संलग्न है और दूसरे स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, और राज्य के साथ मिलकर काम करता है। खाद्य व रोजगार से जुड़ी सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिफें देता है। हाल में उत्पन्न तात्कालिक मांग खाद्य वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सिर्फ जिनके पास दस्तावेज हैं, उन तक ही सीमित करने की बजाय, उसे सार्वजनीन बनाने की है। इसे सिर्फ अनाज तक ही सीमित न रखकर, इसका विस्तार पोषणयुक्त खाद्य तक करने की जरूरत है। मकाम की बड़ी मांग है कि सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम का विस्तार किया जाए, जिससे रोजगार की सुनिश्चितता हो, इसके साथ ही महिला किसानों की उत्पादन संबंधी क्षमता में भी बढ़ोतरी हो।

हम चाहते हैं दीर्घकालीन समय में महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका के मौके मिले, जो पर्यावरण के पुनर्निर्माण में सहायक, उसके अनुकूल हों। लेकिन, इसका अर्थ है कि कृषि, जल व अन्य सार्वजनिक संसाधनों पर निवेश करने की जरूरत है, जिस पर महिलाएं निर्भर हैं। साथ ही ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है, जिससे उनके संसाधनों की सुरक्षा व उनकी वृद्धि हो, न कि उन्हें छीना जाए या खत्म कर दिया जाए।

इसके मद्देनजर ऐसी दृष्टि की जरूरत है जो महिलाओं के मानव अधिकार पर जोर देती हो और संसाधनों व सत्ता के विकेन्द्रीकरण के जरिए मौजूदा विकास के माडल को बदले।

हमारा मानना है कि यह उदाहरण कोविड-19 के बाद सामाजिक और आर्थिक एकजुटता के लिए, नई राह बनाने के लिए और आजीविका को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी सबक हैं।

1. संकट में मिला मकाम का साथ

लेखक : डा. सोमा केपी, सुलेखा (एक्शन एड) , मुबाशीरा जैदी

वर्ष 2020 के मार्च महीने के आसपास जब तालाबंदी लगाई गई उसी समय मकाम (MAKAAM) आई और सक्रिय हुई। हम यहां दंगों की पृष्ठभूमि में एक साथ आए जो फरवरी के अंतिम दिनों में पूर्वी दिल्ली में हुए थे। हालांकि हमसे कई लोग दिल्ली में निवास करते हैं और मकाम के विभिन्न क्षमताओं वाले एजेंडा में संलग्न हैं। हम एक साथ समूह के रूप में आए और हमें एहसास हुआ कि इस संकट के समय पूरी दिल्ली के समुदायों को मदद की जरूरत है। इसी के आसपास हमने सामूहिक पहल शुरू की। हमने हमारी मदद व सहयोग का विस्तार उत्तर-पूर्वी बहनों के लिए भी किया,जो संकट से गुजर रही थीं। इस पहल से पूरे इलाके में भूख की स्थिति को रोकने और महामारी का मुकाबला करने में मदद मिली।

दिल्ली की ऐसी आबादी जो बस्तियों व बसाहटों में रहती है, जो पलायन करके आई है, या झुग्गियों में रहती है, तालाबंदी के बाद विस्थापित हो गई या उनका शहर में ही पुनर्वास कर दिया गया, जो शहर से कहीं बहुत दूर सीमा पर था। तालाबंदी से यह समूह बहुत जल्दी ही संकट में आ गया, उनकी दैनिक मजदूरी छूट गई और एक- दो सप्ताह में ही भूख की स्थिति निर्मित हो गई। इनमें से कई रिक्शा चालक, घरेलू काम करनेवाले मजदूर, सब्जी छंटाईदार और बिक्रेता, छोटे दुकानदार और मजदूर आदि थे। अचानक तालाबंदी के कारण रोजाना की खपत पर संकट आया। इससे पहला असर भूख के रूप में सामने आया, इसका सबसे ज्यादा खतरा बेघर लोगों और किराएदारों पर पड़ा।

मकाम(MAKAAM) के साथ दो संगठन- एक्शन इंडिया महिला पंचायत और सबला संघ जुड़े थे। हमने मार्च (2020) की शुरूआत में तालाबंदी की स्थिति का संभावित पूर्वानुमान लगाया। उन्होंने खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की किट दी, जिसे सबसे वंचित महिलाओं को दिया गया, जिससे वह महामारी के दौरान कुछ महीने निर्वहन कर सकें। वह और अन्य लोग शहरी गरीबों व पलायनवाले गरीबों के पास भी पहुंचे, जो शहर की 10 बसाहटों में निवासरत थे। इनमें से बस्ती या झुग्गियों में किसान, खानाबदोश, और शहर के रेहड़ी पटरीवाले थे। राशन व खाद्य राहत सामग्री पहुंचाने के लिए संचार की सुविधा व व्यवस्था की गई। राज्य एजेंसी व राहत समूह बनाए गए और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने के लिए प्राथमिकता दी गई। सबसे ज्यादा संकटवाले जरूरतमंद व्यक्तियों की सूची बनाई गई, राहत समूहों को इसकी जानकारी दी गई, उनका पंजीकरण किया और परिवहन के माध्यम से लोगों तक खाद्य व राशन सामग्री पहुंचाई गई। जहां से भी संकट में फंसे व्यक्तियों से मदद के लिए सूचना मिली, उन्हें दिल्ली के दानदाताओं व राहत समूहों से मिली सहायता दी गई। ग्रामीण इलाकों में स्थित फैक्ट्रियों में सहकारिता के माध्यम से सेनेटरी पेड का निर्माण किया गया, जिसे बस्ती की युवा लड़कियों व महिलाओं को वितरित किया गया। इनमें से अधिकांश मुफ्त में वितरित किए। इस पूरी मुहिम में स्कूल व विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। जल्द ही राज्य सरकार को भी इस समन्वित राहत पहल पर भरोसा हुआ और उनकी समिति ने भी राहत व चिकित्सकीय सुविधा पहुंचाई।

दिल्ली में 4 महीने के दौरान मकाम की पहल के माध्यम से 5,600 परिवारों तक राशन राहत सामग्री पहुंचाई गई। और इसके साथ ही 100 बच्चों को पूरक खाद्य सामग्री की दी गई। इनमें से एक चौथाई सहयोग गूंज संस्था ने दिया। दिल्ली राहत समूह द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण राशि जुटाई

गई। यह एहसास हुआ कि शहर में ग्रामीण आबादी तक पहुंचने के लिए ज्यादा समन्वय की जरूरत है, विशेषकर जो प्रशासनिक रूप से अदृश्य है।

अन्य राज्यों में भी सहायता का विस्तार किया गया, इसमें दिल्ली राहत समूह व अन्य व्यक्तिगत दानादाताओं की सामूहिक पहल का योगदान था। इसमें 400 एकल महिलाओं को बीज, खाद्य और अनाज बैंक के लिए मदद दी गई। उन्हें यह छोटी राशि लघु व्यवसाय और परिवार में राहत सामग्री के लिए दी गई। इस समूह ने पलायन करनेवाले मजदूरों जैसे बिहार, असम, मध्यप्रदेश की यात्रा को सुगम बनाने के लिए समन्वय बनाने का काम किया। दिल्ली में 4000 लोगों का आश्रयस्थल बनाने में मदद की। समूह के सदस्यों ने किचन गार्डन (बागवानी) , जैव विविधता को पुनर्जीवित करने को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही बगीचों और शहर की सामूहिक जमीन पर जैविक खाद को बनाने को भी बढ़ावा दिया।

तालाबंदी के बाद राहत कार्य ने एक संगठित एहसास दिलाया एकजुटता और सामूहिकता का,जो प्राथमिकता के साथ आदिवासी व दलित समूहों की सहायता तक जारी रही। बीजों की खरीदी से लेकर एकल महिलाएं, जो लघु व्यवसाय करना चाहती हैं, उन्हें सहायता दी गई। कोविड-19 के दौरान रोजगार तलाशने और चिकित्सकीय सहायता देने तक यह सिलसिला जारी रहा।

महिलाएं, ग्रामीण- शहरी वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए संगठित हैं, जैसे मसाले, गेहूं और सस्ते सेनेटरी पेड़ इत्यादि। उम्मीद है कि यह पहल आगे टिकाऊ होगी जिससे संकट का सामना किया जा सके और इससे बाहर आया जा सके।

तालाबंदी के दौरान समुदाय ने महामारी का सामना किया। एकल महिलाओं को भी कई अलग-अलग जगह त्वरित सहायता दी गई। यह राहत कई स्थानों पर उनके घरों पर जाकर दी गई, जिससे संकट के दौरान भविष्य में फिर से खड़े होने की उम्मीद बनती है।

2. लोगों की आपसी सामाजिक एकजुटता का माडल

लेखक : नफिसा बरोट और पल्लवी सोबती राजपाल

फोटो सौजन्य उत्थान

रतोल गांव, महुवा ब्लॉक, भावनगर जिला, गुजरात में वितरण

पिछले चार दशकों से गुजरात के सूखा प्रभावित तटीय व आदिवासी जिलों में उत्थान नामक संस्था कार्यरत है। उत्थान की पहल लिंगभेद, और सबसे वंचित तबकों के सशक्तीकरण पर है। वर्तमान में यह संस्था 6 जिलों के 400 गांव में लगभग 1.4 मिलियन लोगों के बीच काम कर रही है।

इसके लिए मुख्य रणनीति महिला संघ का निर्माण करना और व्यक्तिगत क्षमतावर्धन, टिकाऊ सशक्तीकरण और समावेशी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसी तरह के और पांच सामाजिक संस्थान बने हैं जो ग्रामीण महिलाओं और वंचित तबके के अधिकारों को सुरक्षित करने पर काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में 8 हजार सदस्य कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के प्रयोग में काम कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से सार्वजनिक व निजी संसाधनों पर उनके अधिकारों को मजबूती देना, और उनको किसान की पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है।

कोविड-19 और अचानक तालाबंदी के बाद उत्थान ने उन लोगों से संपर्क किया, जो पहले से ही ज्यादा हाशिये पर हैं, और असुरक्षित हैं। खाद्य व सब्जियों की आपूर्ति कड़ी टूट गई। उन परिवारों में खाद्य की कमी देखी गई जिनके पास नकदी की तंगी थी। जमीनी आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार की मंशा अच्छी थी पर फिर भी जो जरूरत थी, उसे पूरा करने का लक्ष्य दूर था। उस समय प्रवासी मजदूरों की वापसी में वृद्धि हो रही थी।

धनपुर प्रखंड के राईयावान गांव की वालीवेन पलाश की चिंता उनके गेहूं और मक्का बेचने की थी। एकल महिलाएं, जहां परिवहन की समस्या का सामना कर रही थीं, वहीं उनकी फसल के उचित दाम पाने की भी चिंता थी। मात्र 24 फीसदी किसान ही फसल बेच पाए। वर्ष 2020 के जुलाई माह तक लगभग 40 फीसदी किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की पात्रता नहीं मिली।

फोटो सौजन्य उत्थान

शकुबेन, राहत साथी (दाएं) और वालिबेन, रैयवन गांव के किसान (बाएं), धनपुर ब्लॉक, दाहोद जिला, गुजरात

महिला नेतृत्व के साथ बातचीत कर यह तय किया गया कि इस संकट के समय राहत कार्य में लोगों की सामाजिक एकजुटता उद्यमिता माडल का फायदा उठाना चाहिए। एकजुटता का विचार सामूहिक था, समुदाय के नेतृत्व के साथ मिलकर सबसे वंचित तबकों को सहायता देना, विभिन्न समूहों के साथ गठबंधन के माध्यम से वंचितों का सशक्तीकरण करना। इसके तहत् राहत सहायता के लिए राशन व जरूरी चीजों को 139 गांवों के 3618 परिवारों तक पहुंचाना। यह भावनगर, दाहोद, पंचमहल और माहीसागर जिले के गांव हैं। सभी खाद्य अनाज महिला किसानों व कृषि उद्यमियों से खरीदा गया, इसके अलावा, जिस भी दाम पर अनाज उपलब्ध है, उसका भंडारण किया। जिससे निराशा के दौर में कुछ नकदी उनके पास पहुंच सके। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्न ब्रम्ह योजना के माध्यम से भी 120 गांवों में संबंधित जिलों के विकासखंड में राशन दिया गया। इसमें संवाद की पहल सरपंचों के साथ बातचीत से हुई।

गांव के नेतृत्व, संघ के सदस्य और पंचायतों ने वंचित परिवारों की पहचान की। जहां किसानों को उनका अनाज बेचने में कठिनाई आई, उन्होंने पड़ोस की महिला नेत्रियों व गांव विकास समिति से संपर्क किया। उत्थान ने इसमें हस्तक्षेप किया और महिला किसानों से संपर्क किया,और उचित दाम का प्रस्ताव दिया। इस खरीद की भुगतान की राशि को महिला किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया। इनमें से अधिकांश महिलाओं का भूमि पर मालिकाना हक नहीं था पर वे मेहनत से खेतों की जुताई करती थीं और फसल उगाती थीं। किराना दुकान की अपेक्षा, व्यक्तिगत महिलाओं से अनाज खरीदने की प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है। पर इससे उन लोगों की मदद होती है जो उनका अनाज बेचना चाहती हैं। वालीवेन, को उनके उत्पाद बेचने से प्रति किलोग्राम 19 रूपए मिले, अगर वह सामान्य समय में इसे बाजार में बेचती तो प्रति किलोग्राम 20-22 रूपए मिलते। लेकिन 5 रूपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से परिवहन पर खर्च हो जाते। उन्होंने कहा " मैंने स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद को बेचा, तो इन पैसो की बचत हो सकी"।

सामुदायिक नेतृत्व और उत्थान समूह की सामूहिक पहल से व्यक्तिगत अनाज व सामान का संग्रह हुआ, जिसे पंचायत व युवाओं की मदद से वितरित किया गया। एकजुटता के माध्यम से 54,27,000 मूल्य का राशन दिया गया। 78 महिला किसानों ने 44,136 किलोग्राम अनाज बेचा, और इससे उन्हें 9,12,980 रूपए की आय हुई। यह राशि वापस स्थानीय अर्थव्यवस्था में आई। तुलनात्मक रूप से महिला किसानों को 16 फीसदी लाभ मिला, उनके घर से ही बेचने पर। लेकिन उन्हें मेहनत व उचित दाम की चिंता नहीं है। इनमें से ज्यादातर महिला किसानों की सोच है कि "वे संतुष्ट और खुश हैं कि उनके अनाज से गांव के बहुत लोगों की मदद होगी, इसलिए यह कमाई से ज्यादा मूल्यवान है।" एक अन्य संतुष्टिदायक टिप्पणी है, कई महिला किसान

उनकी फसल को बेचने से इंकार करती हैं, क्योंकि उनकी फसल की मात्रा उनके घरेलू खपत के लिए ही पर्याप्त है।

महिला संघ का नेतृत्व सवाल करता है कि "हम अपना अनाज बाहर क्यों बेचे, और फिर वह बाहर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आए, और हम खरीदें।" "सरकार क्यों नहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती?" इस तरह की आवाजें बहुत सी नारीवादी और कुछ अर्थशास्त्रियों की ओर से आती रही हैं। इस माडल को व्यापक पैमाने पर क्रियान्वित किया जाए, और अगर सरकार स्थानीय स्तर पर अनाज की खरीदी व वितरण करे तो खाद्य असुरक्षा में कमी आएगी, समय पर लोगों को अनाज उपलब्ध होगा, और खरीदी का तनाव व संकट कम होगा, परिवहन की ऊर्जा बचेगी। स्थानीय समुदाय की थाली में स्थानीय अनाज का स्वाद भी सुनिश्चित होगा।

फोटो सौजन्य उत्थान

समर्थन महिला संगठन के कार्यालय में गीताबेन डब्ल्यूएफ के उत्पादन को किट में पैक करती है

3. दाहोद, गुजरात में वनोत्पाद महिला संग्राहकों की आर्थिक एकता

लेखक : सेजल डांड और नीता हार्डीकर

फोटो सौजन्य आनंदी

जामरान गांव महुवा फूल संग्रह केंद्र रसकुम मंडली द्वारा

रतनमहल आदिवासी सजीव खेत उत्पादक विक्रेता मंडली (RASKUM), एक आदिवासी महिला और वन उत्पादक सामूहिक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई। इसमें 572 सदस्य हैं। यह गुजरात के दाहोद जिले के देवगढ़बारिया विकासखंड में स्थित है। इसे आनंदी और देवगढ़ महिला संगठन ने स्थापित किया है।

पश्चिमी भारत के गुजरात का पूर्वी जिला है दाहोद, जो अर्ध शुष्क इलाका है। यहां की लगभग 75 फीसदी आबादी अनुसूचित जनजाति है, और यह उन 200 गरीब जिलों से एक है, जहां के लोगों की आजीविका का स्रोत पलायन है।

आनंदी का कार्यक्षेत्र नेटवर्किंग और विकास की पहल है। महिलाओं का संगठन चेतना जगाने पर जोर देता है। चेतना फैलाना और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान निकालना, एक रणनीति है, जिससे ग्रामीण महिला नेतृत्व में सामाजिक बदलाव आ सके। रतनमहल आदिवासी सजीव खेत उत्पादक विक्रेता मंडली (RASKUM) को रतनमहल मंडली भी कहा जाता है, यह उन 7 सामूहिक में से एक है, जिनके साथ आनंदी काम करती है। यह जैविक और वनोपज, सब्जियों की खेती करनेवाले और जैविक खाद्य उत्पादकों के साथ काम करती है।

हस्तक्षेप की जरूरत

जब वर्ष 2020 के मार्च से मई तक तालाबंदी की गई, तब वह वनोपज एकत्र करने का समय भी था। इसी दौरान टिमरू के पत्ते और महुआ फूल एकत्र करने और बेचने का समय था, जो उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है।

फोटो सौजन्य आनंदी

देवलीकुवा गांव की नंदाबेन ने वन अधिकार भूमि पर अपनी पारंपरिक फसल के साथ अपने नाम पर सफलतापूर्वक दावा किया है

गुजरात राज्य वन विकास निगम और निजी व्यवसायियों ने बहुत से संग्रहण केन्द्र स्थापित किए, जिनसे मदद मिली। संकट के दौर में यह बेजोड़ था, विशेषकर वनों में निवासरत समुदायों के लिए, जिनकी बड़ी आय का स्रोत इस सत्र में वनोत्पाद है।

सरकार के ट्राईफेड (ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) ने महुआ फूल के दाम 17 रूपए से 30 रूपए प्रति किलोग्राम सुनिश्चित किए। जिससे आदिवासियों को उचित दाम मिल सकें। पर कोई नियम और संग्रह की व्यवस्था की अनुपस्थिति में स्थानीय स्तर पर 17 रूपए से 20 रूपए ही मिल पाता है।

वर्ष 2020 के मई माह में स्थानीय आदिवासी महिलाओं का किसान उत्पादक संगठन (FPO) , जो सामान्य तौर पर केंचुआ खाद, जैविक बीजों का उत्पादन व बिक्री का काम करता है, उसने इस समस्या पर आपस में चर्चा की। और वन उत्पाद संग्रह के बारे में कार्यकारी मंडल और उसे सहयोग करनेवाली आनंदी संस्था से फोन पर बातचीत की। आनंदी ने आश्वस्त किया कि अगर मंडली इस दिशा में आगे बढ़ती है और समुदाय व वनोत्पाद संग्रह करनेवालों की मदद करती है तो वह भी प्रशासनिक सहायता देगी। उन्हें सक्षम बनाएगी। हालांकि इसका मतलब यह था कि इसके अधिकांश सदस्य महुआ के व्यवसाय में व्यस्त हो गए, और 2 दिन के अंदर ही बेहतर बाजार दाम की तलाश करने लगे।

रतनमहल मंडली के कार्यकारी सदस्यों ने गांव के महुआ खरीदने के लिए 3 प्राथमिक संग्रह केन्द्र बनाए, जहां उनके ज्यादातर सदस्य रहते थे। इसके साथ ही उत्पाद के लिए लिए स्थानीय बाजार की तलाश भी करने लगे। इसके बाद उन्हें ऐसे व्यापारी मिले, जो सूखे महुआ फूल को 40 रूपए प्रतिकिलोग्राम खरीद लेंगे। कार्यकारी सदस्यों ने यह पूरा काम स्वैच्छिक रूप से किया। मंडली ने भी तय किया वह यह काम गैर लाभ के आधार पर करेगी। उनके लिए यही अच्छा था कि संकट के समय वनोत्पाद संग्राहकों को इससे लाभ मिलेगा। तालाबंदी के समय वनोत्पाद संग्राहक जंगल में जाने के लिए वनरक्षक (गार्ड) को समझाने में सफल रहे कि वनोत्पाद ही उनका आजीविका का एकमात्र स्रोत है।

जब यहां फड मुंशी, जिसके पास गांव स्तर पर संग्रहण का लाइसेंस था उसने कोई पहल नहीं की और न ही गुजरात राज्य वन विभाग निगम जिसके पास पूरी व्यवस्था थी, उन्होंने स्थानीय स्तर पर खरीदी की पहल की। तब कुछ दिनों के अंदर मंडली को यह एहसास हुआ कि कुछ वनोत्पाद संग्राहकों को नकदी की जरूरत है, जबकि कुछ वस्तु विनिमय पसंद करते हैं, यानी उनके उत्पाद के बदले उन्हें मक्का व शक्कर चाहिए। इसकी आपूर्ति कम थी और दाम ज्यादा थे। इसलिए मंडली ने यह तय किया कि मक्का व शक्कर का बड़ी मात्रा में भंडारण किया जाए, जिसे

उन्होंने पास के विकासखंड मुख्यालय से नगद भुगतान कर खरीदा। बाजार में शक्कर का दाम 40 रूपया प्रति किलोग्राम था, जबकि मक्का 22 रूपए प्रति किलोग्राम था। लोग इसे नकदी में खरीद सकते थे या फिर जैसा वे चाहें।

रतनमहल आदिवासी सजीव खेत उत्पादक विक्रेता मंडली की कार्यकारी समिति को संकट का एहसास था, पर उनको अपनी आय को महुआ भंडारण में खर्च करने में कुछ दुविधा थी। उन्हें स्थानीय व्यापारियों की घुसपैठ का डर था।

लेकिन बैठक व संवाद के जरिए उन्होंने इसका समाधान किया। संग्रह केन्द्र बनाए, तौलने की व्यवस्था की, और महिलाओं की टीम बनाई, और बैंक से राशि निकाली। बैंक से नकद राशि निकालना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां काफी भीड़ थी, पर इसका प्रबंध किया।

परिणाम और सबक

किसान उत्पादक संगठन की सचिव, जो 26 वर्षीय आदिवासी युवती है, ने इस प्रक्रिया से काफी कुछ सीखा। विकासखंड के अधिकारियों से आवाजाही के लिए पास लिया, बैंक, जो 30 किलोमीटर दूर है, से बातचीत की और सुनिश्चित किया कि उनके खाते में रोज पैसा आ जाएगा। संग्रह केन्द्र तक शक्कर व मक्का लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की, व्यवसायियों के साथ भाव तौल किया और बिना किसी अतिरिक्त भंडारण के जोखिम के अच्छा दाम पाया, हालांकि इसका उन्हें पूर्व का कोई अनुभव नहीं था।

चार हफ्तों में मंडली ने 6,86,000 रूपए का 16.16 टन महुआ फूल का भंडारण किया। यह काम उन्होंने 14 गांव के 225 वनोत्पाद संग्राहकों की सहायता से किया। जिससे एक माह में औसतन 3048 रूपए प्रति संग्राहक या महिला किसानों को आमदनी हुई। मंडली को एहसास था कि कोविड के समय में महुआ संग्रह करनेवालों के पास नकदी पैसे नहीं थे। यहां तक कि राशन दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से अनाज खरीदने के लिए भी मुश्किल थी। जिन लोगों को दाल, सब्जी, तेल और मसालों की जरूरत थी, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। मंडली ने तय किया कि वह अतिरिक्त कीमत को खुद वहन करेगी।

इस सबसे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। मंडली की योजना है कि अगले साल मौसम की शुरूआत से ही बड़े पैमाने पर वनोत्पाद संग्रह करेगी। जिससे वनोत्पाद संग्राहकों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिल सकें। इसके स्थान पर संग्राहकों को वन निगम से मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव मिलता है।

4. स्थानीय उत्पादन व क्रय-विक्रय पर जोरः केरल के श्रीलक्ष्मी महिला संगठन ने दिखाई राह

लेखक : उषा एस. और अरुण आर.एस.

फोटो सौजन्य थनल

सामुदायिक किचन गार्डन के लिए की जा रही खाद

थनल, एक स्वैच्छिक शोध और कार्यान्वियन समूह है, जिसकी स्थापना प्रकृतिप्रेमी समूह ने 1986 में की थी। इसके बाद यह समूह कई स्तरों पर जैव विविधता के शोध और पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण और उसका पैरोकारी से संबद्ध रहा है। पिछले दो दशकों से जैविक खेती, कृषि पारिस्थितिकीय, खाद्य संप्रभुता, शून्य अपशिष्ट, रासायनिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर इसका जोर है। थनल, जमीनी स्तर पर किसानों, सामुदायिक संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं और विद्यार्थियों इत्यादि के बीच शिक्षण, प्रशिक्षण, और उन्हें सशक्त करने का काम करता है। इसके साथ ही राज्य सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर भी जुड़ा है। थनल, उन संस्थाओं में से एक है जिसने जैव उत्पादों के क्रय -विक्रय (मार्केटिंग) में पहल की है, जो जैविक किसानों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। वर्ष 2003 से किसान और उपभोक्ताओं को एक मंच पर लाने का काम किया है। थनल, राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ खेती के लिए आशा (ASHA) किसान स्वराज नेटवर्क के साथ, और शून्य अपशिष्ट पर हिमालयी राज्यों में अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक सुरक्षा नीतियों और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में गत दो दशकों से जुड़ी है।

कोवालम के पास वेल्लूर एक छोटा तटीय गांव है, जो केरल का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह एक छोटा पर्वतीय और सुंदर स्थान है, जहां घनी आबादी निवासरत है। और यहां छोटी जोत है। इस क्षेत्र में कई दशकों से कृषि बड़ी आबादी का आजीविका स्रोत नहीं है। लेकिन स्वशासन का विकेन्द्रीकरण, महिला स्वसहायता समूहों का निर्माण, खाद्य सुरक्षा, जैविक खेती का प्रशिक्षण आदि की सक्रियता रही है। इस काम में विभिन्न संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी की है, जैसे गांधी स्मारक निधि, थनल, और वेनगानूर ग्राम पंचायत आदि ने स्थानीय लोगों की सोच बदलने में सार्थक भूमिका निभाई है। अधिकांश छोटी जोतवाले आमतौर पर सब्जियां उगाते हैं

फोटो सौजन्य थनल

सामूहिक से बीज प्राप्त करती एक महिला किसान

जैसे केला, पपीता और रतालू की खेती करते हैं। लगभग 70 किसानों ने, जो थनल से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, पिछले दो साल से उन्होंने अपनी घरेलू खपत के लिए जैविक सब्जियां उगाना शुरू किया है, और बाद में बाजार के लिए भी। इनमें से ज्यादातर महिला किसान ऐसी हैं, जो शुरूआत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खेती में श्रम करती थी, पर बाद इनमें से कुछ ने छोटे समूह में खेती करना शुरू किया।

वर्ष 2018 में श्री लक्ष्मी समूह बना। 15 सदस्यों(जिनकी उम्र लगभग 35 से 70 वर्ष की थी) के साथ इसकी शुरूआत हुई, जो जैविक सब्जियों के उत्पादन और बिक्री में काफी सक्रिय है। यह समूह 3.5 एकड़ क्षेत्र में खेती करता है। बीज और जैविक निवेश के मामले में अब वे लगभग पूरी तरह स्वावलंबी हैं। तालाबंदी के दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय खरीद बिक्री बहुत चुनौतीपूर्ण थी। परिवारों ने उनकी आमदनी खोई, क्योंकि वे काम के लिए नहीं जा सकते थे। इस क्षेत्र के ज्यादातर लोग दैनिक मजदूरी करते थे या होटल, दुकान या अन्य जगहों पर और कोवालम के आसपास पर्यटन संस्थानों में काम करते थे। महामारी के दौरान इनमें से ज्यादातर संस्थान बंद हो चुके थे। सरकार ने कुछ तत्कालीन राहत खाद्य व अन्य आवश्यक चीजों के रूप में दी। पर परिवार आर्थिक रूप से टूट चुके थे। महामारी के दौरान सरकार ने तत्काल राज्य में लाखों प्रवासी मजदूरों को खाद्य की व्यवस्था की और आश्रयस्थल मुहैया करवाए। पंचायतों ने सामूहिक भोजनालय (कम्युनिटी किचन) में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें कई स्थानीय समूहों, व्यावसायिक संस्थानों , परिवारों और कुदम्बश्री समूह ने भी सहायता की। इस पूरी प्रक्रिया से किसानों को मदद मिली, जो उनके उत्पादों की बिक्री व वितरण करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। इस सामुदायिक भोजनालय से अकेले रहनेवाले बुजुर्ग लोगों व बीमार व्यक्तियों, और उन लोगों को जो भोजन के लिए होटलों पर निर्भर थे, काफी मदद मिली।

तालाबंदी के दौरान कोई भी परिवहन (वाहन) उपलब्ध नहीं थे। महिला किसान उनकी सब्जियों को बेचने के लिए बाजार नहीं जा सकती थीं, जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं। इसके बाद, श्रीलक्ष्मी समूह के सक्रिय सदस्यों ने पाया कि उनके पड़ोसियों को सब्जियों की जरूरत है। उन्होंने उनकी पहचान की और वार्ड सदस्य के माध्यम से फोन से संपर्क किया। इसके बाद शुरूआत में 25 परिवारों को सब्जियों की आपूर्ति की। इस समूह ने 25 परिवारों के 90 सदस्यों को, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, को उनके खेतों की विविध तरह की सब्जियों की आपूर्ति की। यह उनके लिए अच्छा कार्य निर्वाह का क्षण था। उत्पादन बढ़ता गया, सूर्य प्रकाश व रुक-रुक कर बारिश इसके लिए अनुकूल थी। कुल मिलाकर, लोगों ने उनके खेतों की देखभाल में अपना

ज्यादातर समय लगाया। तालाबंदी के दौरान जैविक बाजार के सहयोगी (जैविक सामाजिक उद्यम की शुरूआत थनल ने त्रिवेन्द्रम में की www.organic-bazar.in)) जैविक किसानों को फोन पर संपर्क करते थे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। जैविक बाजार आगे बढ़ा और किसानों के खेतों से सब्जियां एकत्र कीं, और महिला समूहों को बड़ी मदद मिली। इससे कई छोटे उत्पादकों को प्रेरणा मिली, उत्साह बढ़ा। और कईयों ने श्री लक्ष्मी समूह से बीज लिए और सब्जियों की खेती करना शुरू किया। यह महिलाएं स्रोत टीम के रूप में सामने आईं, और उन्होंने जैविक सब्जियों की खेती करनेवाले नए किसानों को सहायता की।

महामारी, खाद्य उत्पादन को बातचीत में ले आई, राज्य व सरकार ने निर्णय लिया है कि सब्जियां, कंद और फलों की खेती में वृद्धि करेंगे। कृषि विभाग और कुदम्बश्री ने भी बीजों की आपूर्ति करना शुरू किया है। श्रीलक्ष्मी समूह के सदस्यों को भी कुदुम्बश्री से मदद मिली है। इस पूरे अनुभव के दो मुख्य सबक हैं। पहला, स्थानीय संगठनों के द्वारा स्थानीय स्तर पर खाद्य उत्पादन हो, और दूसरा, उत्पाद की खरीद- बिक्री और उसकी योजना के लिए स्थानीय व्यवस्था विकसित की जाए।

फोटो सौजन्य थनल

अपने किचन गार्डन में चंद्रिका अम्मा

5. महामारी में कोरची महासभा की पहल

लेखक : कुमारीबाई जमकातन, कोरची, जिला गढ़चिरौली

फोटो सौजन्य ओमिता बावनकर

खरीफ सीजन के दौरान कृषि विषय जैसे कि किचन गार्डन, जैविक खेती, द्वितीयक उत्पाद, सरकारी मूल्य और स्थानीय बीज और रोपण पर महिला नेताओं को पोस्टर प्रदर्शन और मार्गदर्शन।

आमी आमचा आरोग्यसाठी का परिचय

आमी आमचा आरोग्यसाठी (AAA) एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी शुरूआत वर्ष 1984 में हुई। इसकी जड़ें संपूर्ण क्रांति आंदोलन (पूर्ण क्रांति आंदोलन) में हैं, जिसे जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1970 में शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से आमी आमचा आरोग्यसाठी के संस्थापक सदस्य प्रभावित थे। वह उनके प्रेरणास्रोत थे। स्थानीय समुदाय का क्षमतावर्धन कर उन्हें स्वावलंबी बनाना और सशक्त करने की भूमिका के लिए यह संस्था जानी जाती है। स्थानीय समुदायों को बिना किसी विचारधारा और वाद के दायरे में बांधे, संस्था उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए मदद करती है। उन्हें खुद समस्याओं को तलाशने के लिए प्रेरित करती है, बजाए किसी बने बनाए (रेडीमेड) समाधान के। संस्थापक सदस्यों ने एक तरह से स्वयं सहायता आंदोलन शुरू किया। आमी आमाचा आरोग्यसाठी ने समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) बनाए। जैसे क्रांति ज्योति महिला संगठन, जन कल्याण अपंगजन संगठन, महाग्रामसभा (विकासखंड स्तर संगठन, कोरची विकासखंड, गढ़चिरौली जिला) इत्यादि। महाग्रामसभा गैर पंजीकृत स्वायत्त संगठन है, जो एक ढीला ढाला संवैधानिक गांव सभा या ग्रामसभा का मंच है।

इसमें कोरची विकासखंड में 80 ग्रामसभा की सदस्यता है। ग्रामसभा के हर तरह के कार्य संचालन में विकेन्द्रीकरण की सोच विकसित की गई है। जैसे कोरची महाग्रामसभा ने वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन का मुद्दा लिया। सरकारी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष हुआ (बिजली आपूर्ति लाइन, लौह अयस्क विस्थापन), तेंदूपत्ता की नीलामी के खिलाफ संघर्ष भी हुआ। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली विकासखंड में हाल ही में इन्होंने बाढ़

फोटो सौजन्य ओमिता बावनकर

कुमारीबाई महिला समूह से बात करते हुए

पीड़ितों की मदद भी की। आमी आमचा आरोग्यसाठी की मुख्य भूमिका पूरे जिले में ऐसी संस्थाओं को बनाने में सहायता करना है। महामारी के दौरान ग्रामसभाएं, जरूरतमंद लोगों को खाद्य व अन्य जरूरी चीजें दिलवानें में मदद करने के लिए आगे आई हैं।

ग्रामसभा की कोशिश

कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया पर कहर टूट पड़ा, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इसी समय लोगों के पास रोजगार नहीं, वनोत्पाद एकत्र करने के मौके नहीं और उन्हें बाजार में खुलेआम बेचने के भी मौके नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में गढ़चिरौली के कोरची विकासखंड की ग्रामसभा के कुछ नेतागण एक साथ आए और उन्होंने इस पर विचार किया कि कोविड-19 ने जनता की जिंदगी मुश्किल कर दी है। उन्होंने तय किया कि ग्रामसभा की राशि से जरूरी चीजों का वितरण किया जाए। इसके बाद उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, और आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाई। उन्होंने ग्रामसभा में आधिकारिक प्रस्ताव लाने और गांव में एक छोटा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया। विशेषकर, यह कार्यक्रम एकल महिला और विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए रखा जाएगा। जिसमें सबसे वंचित समूह के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके बाद कोरची तालुका की चार ग्रामसभाओं- गहानेगाता, साल्हे, झनकर गोंडी, और कुकदेल आदि में राशन सामग्री वितरित की गई। इस दौरान कोविड-19 से बचाव के सभी उपाय मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना, और शारीरिक दूरी का पालन किया गया। राशन सामग्री में चावल, दाल, लाल मिर्ची, नमक, तेल, आलू, प्याज, साबुन, शक्कर, चाय इत्यादि चीजें शामिल थीं। एकल महिलाओं को राशन सामग्री के साथ खेती के लिए बीज और जैविक खाद का वितरण किया गया। मकाम (MAKAAM), संगठन और आमी आमचा आरोग्यसाठी ने बागवानी (किचन गार्डन) के लिए बीज दिए। विकलांग व एकल महिला को प्राथमिकता दी गई।

इसी दौरान, कुकदेल ग्रामसभा ने लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई, इसके लिए खुली जमीन पर वृक्षारोपण करने की योजना तैयार की, जो राशि टावर लाइन से नुकसान से क्षतिपूर्ति के मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई थी, उसे वृक्षारोपण करनेवाले मजदूरों को भुगतान किया गया। 110 परिवारों के 110 लोगों द्वारा 5,500 गड्ढे खोदे गए, प्रत्येक मजदूर ने 50 गड्ढे खोदे। इन परिवारों को प्रतिदिन 250 रूपए के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया गया। यह काम पूरा हो गया है।

विकेन्द्रीकृत निर्णयों में बाधाएं

जब महाग्रामसभा के द्वारा यह अनुकरणीय काम हो रहा था तब जिला कलेक्टर ने एकतरफा निर्णय लेकर ग्रामसभा के बैंक खाता को बंद कर दिया। ग्रामसभा पर राहत कार्य में अनियमितता का आरोप लगाकर यह कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर की इस कार्रवाई का परिणाम यह हुआ कि लोगों को कठिनाई से गुजरना पड़ा। उस समय मार्गदर्शक संगठन आमी आमचा आरोग्यसाठी और महाग्रामसभा तालुका ने इस ग्रामसभा के दस्तावेज को सुधारने और सरकार को जो रिपोर्ट चाहिए थी, उसे तैयार करने में मदद की। लेकिन जिला कलेक्टर ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया, और कहा कि ग्रामसेवक या ग्राम सचिव को बैंक खाते का हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए, या वन अधिकार समिति या वन अधिकार निगरानी समिति को, जो वन अधिकार कानून या पेसा कानून के तहत् बनी हैं। इससे ग्रामसभा खाता से नगद समिति खाते में, राशि हस्तांतरित करने की पूरी प्रक्रिया रुक गई। तब उस समय कोरची और कुरखेड़ा तालुका की 19 ग्रामसभाएं एक साथ आईं और उन्होंने खुद के खर्च से न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने अस्थाई रूप से खाता को खोला जिससे खाते से मजदूरी, तेंदूपत्ता की रायल्टी, और अन्य गैर वन काष्ट उत्पाद का भुगतान किया गया। बहरहाल, अभी मुकदमा न्यायालय में लंबित है, और मुआवजा राशि को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

महाग्रामसभा को जिला कलेक्टर की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पर इसका परिणाम यह हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया से महाग्रामसभा और मजबूत बनकर उभरी।

6. संकट में जैविक खेती से बदलाव की ओर

केस स्टडी - एचडीआरसी (HDRC)

लेखक : राजेश लकम और सुनीता मेंडोंझा

फोटो सौजन्य कमलाबेन एस. समीर

क्षेत्र दिवस - डोलारिया चना - जयबेन बी डामोर, ग्राम: नवघरा, प्रखंड: मेघराज, जिला. अरावली

एचडीआरसी (HDRC), गुजरात का संगठन है, जिसे पांच दशकों से दलित अधिकार, महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार, भूमि अधिकार, आदिवासी और वन अधिकार, टिकाऊ आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और वंचित तबकों के लिए आजीविका कार्यक्रम आदि का अनुभव है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छोटे समुदायों के सामाजिक बहिष्करण को खत्म करना है। हाशिये के समुदायों को सशक्त करना जिससे वे यह दावा करे सकें कि संविधान व कानूनी हक कैसे बचे रह सकते हैं, कैसे उनकी अपनी क्षमताओं से उनकी रक्षा कर सकते हैं। और ऐसे लोगों का दायित्व बढ़ाना, जो व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से इन अधिकारों का सम्मान करने व संरक्षण करने और इनकी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह हैं, जो अधिकार कमजोर पड़ गए हैं।

एचडीआरसी की कोशिश है कि समुदाय आधारित संगठन (CBOs) के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाना, जिससे अंत में ऐसी पहल का परिणाम हो कि लोगों का या समूह का स्वामित्व हो, वही उनको नियंत्रण व संचालन करें और वही उनका प्रबंधन कर सकें। वर्तमान में एचडीआरसी वंचित समुदायों के साथ निरंतर काम कर रही है। गुजरात के 11 जिलों के 27 तालुकाओं के शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में कार्यरत है।

कोविड-19 की महामारी के बीच कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च (2020) को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर तालाबंदी की घोषणा की। अचानक और जल्दबाजी में तीन हफ्तों के लिए पूरे देश में तालाबंदी हुई, जिससे लाखों वंचित तबके के लोग परेशान हो गए। उन्हें जीवन निर्वाह के लिए और आजीविका को बनाए रखने के लिए भोजन व अन्य बुनियादी चीजें चाहिए थी। इससे कई लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। विशेषकर, कमजोर तबके के लोग व हाशिये के वंचित समुदायों को बहुत मुश्किल हालात का सामना

करना पड़ा। लाखों प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूरी करनेवाले, छोटे विक्रेता, गरीब विधवा, बुजुर्ग व्यक्ति इत्यादि अचानक तालाबंदी से प्रभावित हुए। उन्हें कठिनाई झेलनी पड़ी। इसके बाद फिर से तालाबंदी और वायरस के प्रकोप का इस वंचित तबको पर दीर्घकालीन असर होगा। जो आमतौर पर कोई भी हादसा हो इऩसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित हादसा, यही लोग प्रभावित होते हैं।

इसके अलावा, किसान बड़ा समुदाय है, जो तालाबंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है,और उसकी स्थिति खराब हुई है। किसान उनके खेतों को जोतने तक भी नहीं जा सके, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हुईं। कुछ मामलों में तो किसानों की पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, क्योंकि वे उसकी देखभाल भी न कर सके। विशेषकर, महिला किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। एचडीआरसी ने इस गंभीर परिस्थितियों को महसूस कर तत्काल उनकी मदद की। उसी समय, महिला किसान समूह को अपने संगठन के दायरे में लिया। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि यह कृषि सत्र पूरी तरह बेकार हो गया है। इसका मतलब है कि इससे महिला किसानों का निर्वाह मुश्किल है। रोटी भी नहीं मिलेगी।

इस स्थिति के मद्देनजर, अरावली जिले की मेघराज तालुका के 10 अलग अलग बसे गांवों की पहचान की। एचआरडीसी ने इन गांवों में तात्कालिक राहत सामग्री वितरित की। कुल 280 राहत सामग्री पैकेट वितरित किए गए। एक राहत सामग्री पैकेट में एक छोटे परिवार के लिए 15 दिन से अधिक की खान-पान की आवश्यक खाद्य सामग्री थी। तालाबंदी के कारण यह महिलाएं न तो घर से बाहर निकल पाई, न ही उनके पास कोई पैसे थे, जिससे उनकी आजीविका चल सके। एचडीआरसी ने राशन सामग्री उस समय दी जब गहरा संकट था, इससे महिलाओं को उनके दैनिक जीवन को चलाने में काफी मदद मिली।

इस पूरी पहल के बाद महिला किसानों ने बीज और जैव कीटनाशक देने का आग्रह किया जिससे वे फसलों को बो सकें। इस पर विचार कर एचआरडीसी (HDRC) और डब्ल्यूजीडब्ल्यूएलओ (WGWLO)ने मदद करने का तय किया। क्योंकि तालाबंदी के दौरान कमजोर फसल के बाद, ये गुणवत्तापूर्ण बीज और जैविक खाद उनको स्वावलंबी बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने मुख्य रूप से कृषि के लिए मक्का, चना, उड़द, और मूंग जैसे अनाज और

फोटो सौजन्य कमलाबेन एस. समीर

(L) टुकड़ी गेह भावनाबेन एस. वर्सोट, ग्राम: पहाड़िया, ब्लॉक: मेघराज, जिला। अरावली, गुजरात; (CL) टुकड़ी गेह सुमित्राबेन एस. खांट, ग्राम: वलुना, ब्लॉक: मेघराज, जिला। अरावली, गुजरात; (CR) देसी सरसों के बीज मंजुलाबेन आर. खांट, ग्राम: वलुना, ब्लॉक: मेघराज, जिला। अरावली, गुजरात; (R) डोलारिया चना भानुबेन एम। खांट, ग्राम: वलुना, ब्लॉक: मेघराज, जिला। अरावली

दालों के बीज दिए। लंबी भिंडी, लौकी, खीरा इत्यादि के बीज बागवानी (किचिन गार्डन) के लिए दिए। इसके अलावा, 10 अलग अलग गांव की आदिवासी महिलाओं को जैविक खाद और जैव कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण भी दिया, जिससे उनकी खेती की लागत कम हो सके।

इस कार्यक्रम की शुरूआत में एचडीआरसी द्वारा वितरित राहत सामग्री के बारे में लोगों में असमंजस था। उन्हें इसकी जरूरत होने के बावजूद राहत सामग्री पैकेट से कोरोना वायरस फैलने का डर था। पर महिला किसानों व अन्य समूहों ने एचडीआरसी की पहल को समझा। उन्होंने गांव के लोगों को इसके बारे में समझाया कि पैकेट बनाने के पहले व वितरण के बाद साफ-सफाई (सेनेटाइजेशन) का ख्याल रखें।

हालांकि राहत सामग्री 15 दिनों के खान-पान के लिए पर्याप्त थी पर महिलाओं ने इसे ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल किया। कुछ मामलों में तो इस सामग्री से एक माह तक गुजारा किया, क्योंकि उस कठिन समय में यही सामग्री जीवन निर्वाह का सहारा थी। बीज उन्होंने अगले सत्र के लिए बचाकर रखे।

फोटो सौजन्य कमलाबेन एस. समीर

(L) एसआईआर विधि टुकड़ी गेहु; (C) विभिन्न प्रकार के बैंगन और मिर्च - किचन गार्डन, सेजलबेन एम। खांट; (R) मेघराज बीज बैंक गांव से वितरित रेड कॉर्न बीज: पहाड़िया

7. महिला किसानों का खाद्‌य व कृषि से मुकाबला- कोविड 19 का जवाब

लेखक : वर्कींग ग्रुप फॉर विमेन लँड ओनरशीप (WGWLO)

फोटो सौजन्य वर्कींग ग्रुप फॉर विमेन लँड ओनरशीप

महिला किसान सखी, काजल अभियान गतिविधि के तहत महिला किसानों के साथ खाद्य सुरक्षा पर जानकारी साझा कर रही हैं - समर्थन महिला विकास संगठन, घोघा, भावनगर

महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO), एक गैर पंजीकृत संगठन है, पर औपचारिक रूप से गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क और समुदाय आधारित संगठन है, जो वर्ष 2002 से कार्यरत है। यह गुजरात में महिलाओं के भूमि स्वामित्व अधिकार को बढ़ावा देता है। पिछले 18 सालों से इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। महिलाओं की किसानों के रूप में पहचान, उनकी उत्पादक संसाधनों तक पहुंच, और उनकी उन पर हकदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) की दीर्घकालीन रणनीति है, और इसके लिए समुदाय आधारित अर्ध न्यायिक कार्यकर्ता हैं, -विकासखंड स्तरीय केन्द्र हैं,जिन्हें स्वभूमि केन्द्र कहा जाता है। इसकी जो सीख होती है, उसे समान सोचवाले नागरिक समाज संगठनों व सरकार के साथ साझा किया जाता है। 11 जिलों के 15 विकासखंड के 225 गांवों में स्व भूमि केन्द्र और समुदाय आधारित अर्ध न्यायिक कार्यकर्ता, और महिला किसान सखी कार्यरत हैं, जो गुजरात के मध्य, उत्तर पूर्वी, और दक्षिण गुजरात में स्थित हैं। यह महिला किसान, कई तबकों से संबंध रखती हैं जैसे आदिवासी, पशुपालक, सामंत और अन्य वंचित कृषि समुदाय इत्यादि।

कोविड-19 के दौरान और उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से नीचे की ओर गई, और लोगों की आजीविका को फिर से पाने में लम्बा समय लगा। उस समय महिला किसानों के पास बहुत सीमित उत्पादक संसाधन थे, जैसे भूमि, खेती का लागत खर्च, तकनीक, साख, जानकारी और हकदारी की पात्रता इत्यादि। इसलिए उनको इस कृषि सत्र में अपने परिवार के निर्वहन के लिए जरूरी चीजों के लिए बड़े संकट का सामना करना पड़ा।

फोटो सौजन्य वर्किंग ग्रुप फॉर विमेन लैंड ओनरशीप

महिला किसान सखी कनक खरीफ सीजन की खेती के लिए महिला किसानों को बीज किट वितरित करती हुई - स्वाती, पटदी, सुरेंद्रनगर

जब महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) ने उसके सदस्यों से महिला किसानों के संकट के बारे में जानना चाहा तो पाया कि 90 फीसदी महिलाओं को रबी फसल के उत्पाद बेचने में नुकसान उठाना पड़ा। दक्षिण गुजरात में तापी जिले के सब्जी उत्पादकों ने बताया कि उन्हें उनकी फसल को नष्ट करना पड़ा। क्योंकि यह अफवाह फैली कि सब्जियां ही वायरस को फैलाने का माध्यम हैं। इन महिलाओं ने आगामी खरीफ फसल के बीज के लिए उधार पैसे लिए। और राशन व अन्य जरूरी सामान के लिए भी पैसे चाहिए थे।

पाटदी, सुरेंद्रनगर की वासंतीवेन लावजीभाई ने दोहराया कि बहुत सी महिलाओं ने इस कठिन परिस्थिति में खेती के सुरक्षित बीज को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, प्रवासी मजदूरों की वापसी की बाढ़ सी आ गई, जो उनके परिवार के भी सदस्य थे, इस कारण संसाधनों में कमी हुई।

आगामी कृषि सत्र की चुनौतियों के लिए महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) आगे आया। उनके सदस्यों ने इसमें हस्तक्षेप किया और उनके साथ इस मुद्दे पर काम किया। और टिकाऊ खेती और प्राकृतिक के लिए सहायता प्रदान की।

महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) और उनके सदस्यों ने इसमें हस्तक्षेप कर लगातार कई स्तरों पर काम किया। शुरूआत में नेटवर्क के सदस्यों के साथ मिलकर समझ बनाई, विशेषकर महिला किसानों के लिए खरीफ मौसम का अनुमान लगाए।

महिला संघ और विकासखंड स्तरीय समुदाय अर्ध न्यायिक कार्यकर्ता व महिला किसान सखी के माध्यम से स्थानीय महिला किसानों के पास तक पहुंचा जाए। डिजिटली संचार के आडियो वीडियो के माध्यम वाट्सएप, मोबाइल, आभासी बैठक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे महिला किसान उनके संघ के नेतागणों से जुड़ सकीं।

महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) के स्थानीय महिला संघ की सदस्यों और विकासखंड स्तरीय समुदाय की अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया। इसकी रणनीति स्थानीय महिला किसानों के साथ मिलकर बनाई।

महिला किसान सखी 15,000 से ज्यादा महिला किसानों के पास पहुंची। और उन्हें बागवानी (किचिन गार्डन) करने और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से खेती करने का संदेश दिया। विविधतापूर्ण खेती, ऐसी फसलें जो दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा दें और खेतों की मिट्टी को भी उर्वर बनाएं, स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा दें, संकर बीजों के बजाए, देसी बीज व विकसित बीज इस्तेमाल करें, इत्यादि स्वावलंबी खेती करने का संदेश दिया। दूरदराज के अहवा गांव की मीराबेन पाटीदार को सजीव खेती पर महत्वपूर्ण आडियो संदेश मिला। उन्होंने कहा " मुझे बहुत उपयोगी जानकारी मिली कि किस तरह जैव प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, वह भी बाहर जाए बिना ही।"

वास्तविक जरूरत के हिसाब से कई महिला किसानों ने कहा कि खरीफ की फसल के लिए उनके पास लागत खर्च नहीं है। महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) ने बीज, खाद, और कीटनाशक के लिए दानादाताओं व समाजसेवियों से मदद की अपील की। 4,200 महिला किसानों के लिए यह मदद मांगी। विशेषकर, एकल महिला किसान, महिला कृषि मजदूर और प्रवासी महिला मजदूर (जो हाल में लौटी हैं), इसमें शामिल थी। यहां की मुख्य फसल के लिए बीज (देसी और विकसित) दिए गए। इसके साथ ही महिला किसानों को जैव कीटनाशक तैयार करने में सहायता दी गई, जैसे पंचामृत, जीवामृत, पंचगव्य इत्यादि।

वर्ष 2019 में बीज बैंक की शुरूआत हुई, जिसमें स्थानीय किसानों से पारंपरिक बीज किस्में एकत्र की गईं। महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह से आदान-प्रदान किया। और अन्य नेटवर्क से जुड़े सदस्यों के साझा प्रयास से खरीफ मौसम की खेती के लिए 850 महिला किसानों की सहायता की। कुल मिलाकर, यह 5,000 महिला किसानों ने फिर से खेती की, फसल की कटाई की, और डेढ़ से दो गुना बीज सामुदायिक बीज बैंक को वापस किया। जिससे महिला संघ के सदस्य आगामी खेती के मौसम के लिए बीज का प्रबंध कर सकें।

छोटे किसानों के लिए, जिनको महामारी के कारण सामाजिक, आर्थिक, आजीविका और निर्वहन के लिए जरूरी चीजों की जरूरत थी, उनके लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था, तब इस राहत कार्यक्रम से उन्हें अस्थायी मदद मिली। सामूहिक रूप से राहत कार्य के अलावा, महिला भूमि स्वामित्व के लिए कार्यरत समूह (WGWLO) की कोशिश है कि उनकी आजीविका का पुनर्निर्माण हो, जिससे महिला किसानों की स्थिति को बेहतर किया जा सके।

फोटो सौजन्य वर्किंग ग्रुप फॉर विमेन लँड ओनरशीप

महिला किसान सखी दरियाबेन खरीफ सीजन की खेती के लिए महिला किसानों को बीज किट वितरित करती हुई- सारथी, संतरामपुर, महीसागर

8. निर्मला की कहानी, अब हमारी पहचान मजदूर है

लेखक : सुवर्ण दामले और निर्मला कातहवाले

फोटो सौजन्य प्रकृति

महिला जॉब कार्ड धारकों के साथ निर्मला

प्रकृति का परिचय

प्रकृति, वर्ष 1990 से महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का काम करती है। वर्ष 2005-06 में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शुरू हुई तब कुछ जिलों का चयन प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश का बालाघाट और महाराष्ट्र का भंडारा जिला शामिल था। प्रकृति ने इन जिलों में ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर पंचायत में किस तरह के काम करवाए जा सकते हैं, इसकी पहचान की, और इस संबंध में जागरूकता लाने का काम किया। कोविड-19 और तालाबंदी के पहले दौर में प्रकृति ने मकाम (MAKAAM) के साथ मिलकर राज्य स्तर पर इसके अंतर्गत लोगों की सहायता की पहल की, और विशेष तौर पर इस योजना के तहत् जाब कार्ड (मनरेगा के तहत् रोजगार के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है) बनवाने पर जोर दिया।

हस्तक्षेप की जरूरत

निर्मला का गांव सावरमेढ़ा है, जो एक छोटा, कपास की खेती करनेवाला गांव है। नागपुर जिले में स्थित इस गांव में 150 घर हैं। पिछले कुछ सालों से कपास का उत्पादन कम हुआ है, और लागत खर्च बढ़ा है। इसलिए किसान उनकी जमीन को औने-पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। खेती का क्षेत्र कम होने का यह असर हुआ है कि मजदूर भी बेकार हो गए। महामारी और उसके बाद तालाबंदी से स्थिति और बिगड़ गई। आमतौर पर महिलाओं को बुआई, निंदाई और फसल कटाई में लगातार काम मिलता था। पर महामारी के दौरान उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई हुई।

फोटो सौजन्य प्रकृति

जॉब कार्ड धारक अपनी बैंक पासबुक के साथ अपने खाते में जमा मजदूरी दिखा रहा है

किसानों को नुकसान सहना पड़ रहा है, इसलिए वे मजदूरों को काम पर नहीं रख पा रहे हैं। वे इस काम के लिए उनके परिवार के सदस्यों पर भरोसा कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, या जो शहरों से वापस आए प्रवासी हैं। एकल महिलाओं को रोजगार के लिए इन लोगों से स्पर्धा करना पड़ रहा है।

मनरेगा के बारे में अब तक न तो निर्मला को और ना ही गांव की अन्य महिलाओं को पता था। वे इतना तो समझती थीं कि सरकार कुछ काम गांव में करवाती है, जैसा कि दूसरी अन्य योजनाओं व काम में होता है, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर प्रकृति के प्रशिक्षण में निर्मला ने मनरेगा के बारे में जाना और बाद में गांव की महिलाओं के साथ साझा किया। गांव की 18 एकल महिलाओं के पास जाब कार्ड नहीं था, और पहचान के लिए दस्तावेजों की जरूरत थी। निर्मला ने इसकी पहल की, उन्होंने दस्तावेज जुटाए और रोजगार सेवक के पास जाब कार्ड के लिए जमा किए। लेकिन रोजगार सेवक जाब कार्ड जारी करने के लिए उत्सुक नहीं था। पर महिलाओं ने इसका विरोध किया और उसे और सरपंच से बार बार जाब कार्ड देने का आग्रह किया, अन्यथा कार्रवाई करने की बात की। अंततः उन्हें उनकी कोशिश में सफलता मिली और सभी को जाब कार्ड जारी हुए।

हालांकि जाब कार्ड बनवाने में पहली सफलता मिल गई थी, पर अब जाब कार्डधारी एकल महिलाओं को मनरेगा के तहत् काम मिलने की मांग थी, इसके लिए उन्हें संगठित करने की चुनौती थी। इनमें से कुछ महिलाओं को मनरेगा के काम के बारे में कुछ आशंका थी, वे सोचती थी कि खेतों में काम करने की तरह मनरेगा का काम सम्मानजनक नहीं है। पर उन्हें समझाया गया कि मनरेगा का काम खेती के काम की तरह ही है, बल्कि उन्हें इसमें मनरेगा के तहत् मजदूरी भी बेहतर मिलेगी। एकल महिलाओं को काम के लिए गांव से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, और उन्हें इसके लिए बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा। उनको पास के खेत में काम करने को प्रमुखता दी जाएगी। हालांकि इस वर्ष अतिवर्षा व अनियमित वर्षा के कारण निंदाई- गुड़ाई के लिए जाना कठिन था। और इस वर्ष फसल कटाई में भी कम रोजगार मिला, क्योंकि कम उत्पादन हुआ।

परिणाम और सबक

इस कठिन समय में निर्मला जाब कार्डधारी महिलाओं को प्रेरित करने में सफल हो गईं, कि मनरेगा के तहत् काम शुरू करें और तीनों ने यह काम शुरू भी किया। उज्ज्वला और चंदा उन शुरूआती महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने काम शुरू किया, और अब वे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा की मजदूरी बेहतर है। इनमें से एक ने बताया कि उन्होंने एक दिन की मजदूरी का भुगतान लिया है। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि बारिश के दौरान भी काम भी किया।

निर्मला ने एक महिला की कहानी बताई, जो गर्भाशय बाहर निकलने व अन्य स्त्रीरोगों की समस्या से गुजर रही थी। इसलिए उसके लिए कपास को चुनना और भंडारण करना कठिन था, वह कमरबंद लगाती थी। मनरेगा के तहत् वह सामाजिक वानिकी में काम करती थी, यह उसके लिए सुविधाजनक था। हालांकि यहां मजदूरी बहुत ज्यादा नहीं थी पर काम आरामदायक था। महत्वपूर्ण बात यह कि इसके साथ उसे सुरक्षा के बोध का अहसास था। यह जाब कार्ड उसकी पहचान और मान्यता है आपातकालीन स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। इसे खेत मजदूर कभी नहीं पा सकता। सभी एकल महिला जो मनरेगा के तहत कार्यरत हैं, इससे खुश हैं कि अब वे सरकार से आधिकारिक रूप से जाब कार्डधारी के रूप में बात कर सकती हैं। काम मांग सकती हैं।

इन महिलाओं के गंभीरतापूर्वक काम करने से रोजगार सेवक भी पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि अब उसे उनकी निगरानी नहीं करनी पड़ती। निर्मला के लिए भी यह बड़ा सबक था। सबसे पहला तो यह कि इस योजना के बारे में उसने अच्छे से जाना। पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि महिलाओं को प्रेरित किया, कठिन समय में सरकारी व्यवस्था से काम दिलवाना सुनिश्चित किया। मनरेगा से महिलाएं लाभांवित हुईं। निर्मला को उम्मीद है कि आगे वह मनरेगा की गांव स्तर की योजना में शामिल होगी।

फोटो सौजन्य प्रकृति

मनरेगा साइट पर काम कर रही महिलाएं

9. कोविड-19 संकट में यमुना खदार की महिला किसानों का जवाब

लेखक : विक्रम सिंह;
सहलेखक व अनुवादः रीशा रामचंद्रन और मुबाशिरा जैदी

फोटो सौजन्य: विक्रम सिंह

यमुना खद्दर में युवा समूह COVID 19 राष्ट्रीय तालाबंदी के दौरान वितरण के लिए राहत सामग्री की पैकिंग कर रहा है।

पूर्वी दिल्ली, दिल्ली नोएडा प्लाईओवर से वजीराबाद की ओर स्थित है यमुना खदार (यमुना नदी की उपजाऊ भूमि)। यहां कई संस्थान जैसे कामनवेल्थ स्टेडियम और अक्षरधाम मंदिर हैं, पर इसे खेती की पट्टी के रूप में जाना जाता है। यहां आजादी के समय से ही कृषक समुदाय रहता है। दिल्ली कृषक सहकारी बहुउद्देश्यीय समिति (DPCMS), जिसका दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ अनुबंध है, ने खेती के लिए भूखंड आवंटित किए हैं। यही उनसे जमीन का किराया लेता था, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1996 में खत्म कर दिया था। पर वर्ष 2010 तक किराया लिया गया। हालांकि, इसके बाद बहुत ही कम समय में कृषक समुदाय को दो साल बाद बेरहमी से उजाड़ दिया।

देशव्यापी तालाबंदी और महिला किसान व युवाओं की पहल, जिन्होंने इसके नकारात्मक असर को कम किया

सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की, इसका मतलब यह हुआ कि आवाजाही पर सख्त रोक लगी और स्थानीय मंडी भी बंद रही। किसानों के लिए आजीविका की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जब रेहड़ी फेरीवालों को राज्य सरकार ने अनुमति दी पर तब भी यमुना खदार में सब्जी विक्रेताओं को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, यमुना नदी में बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हुईं। तालाबंदी के दौरान कीटनाशकों के भी दाम बढ़े। जिस कारण नई फसल के लिए लागत खर्च नहीं था। इसलिए यमुना खदार के किसान परिवारों को कठिन हालातों का सामना करना पड़ा। उनके सामने गहरी गरीबी में डूबने का खतरा आसन्न हो गया।

फोटो सौजन्य: विक्रम सिंह

विक्रम शनिवार को यमुना खद्दर के बच्चों के साथ विशेष नैतिक शिक्षा की क्लास लेते हुए

माला, यमुना खदार की महिला किसान है, वहां से छोड़कर वह मंडी के पास किराये से रहती थीं, जहां अपने उत्पाद बेच सके। लेकिन तालाबंदी से उसे गहरा धक्का लगा, और भुखमरी की नौबत आ गई, यह उनके लिए परिवार के लिए बड़ी आपदा थी। माला की तरह बहुत से निवासी हैं, जो कभी उत्तरप्रदेश व बिहार से पलायन कर आए थे, वे शहर में रोजगार की तलाश में आए थे। विमला देवी, लगभग 20 साल पहले उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले के एक छोटे गांव से आईं थीं। उसी समय से विमला के लिए कृषि ही आय का प्रमुख साधन है। लेकिन कृषि से लगातार निर्वहन व आय कमाना कठिन था, पर तालाबंदी ने इस संकट को और बढ़ा दिया। इसके मद्देनजर उन्होंने अपने व्यवसाय में विविधता लाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा "जब मैं शुरू में कृषि से बहुत ही कम आमदनी की समस्या से गुजर रही थी, तभी मैंने स्थानीय मंडी के पास एक ठेले पर पकोड़ा बेचने की दुकान खोल ली, जिससे मेरे परिवार को सहारा मिला।" खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए, अन्य महिला किसानों ने भी इस क्षेत्र में उद्यमिता कौशल दिखाया और उनकी आजीविका को विविधतापूर्ण बनाया। गुडिया, एक युवा किसान हैं, उन्होंने पौध रोपणी शुरू की है। उन्होंने कहा "इससे मुझे आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद तो मिलेगी, साथ ही यह पर्यावरण अनुकूल भी है। पेड़ लगाने से प्रदूषण भी कम होगा।" संकट के दौरान महिला उद्यमिता के यह कुछ उदाहरण सामने आए हैं, बिना राज्य की सहायता के, इससे उन्होंने उनके परिवार का निर्वहन किया और क्षेत्र की अन्य गरीब महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी।

अनिश्चितता के बीच में यमुना खदार की महिलाएं सबसे आगे आईं और उन्होंने जो भी सहायता संभव हो, वह किया, इसके लिए नेटवर्क बनाने में नेतृत्व क्षमता दिखाई। उदाहरण के लिए माला ने समुदाय में खाद्य की कमी का मुद्दा उठाया, और जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से ई कूपन से राशन लेना एक चुनौती थी, वह समुदाय के सक्रिय लोगों से जुड़ीं। विक्रम ने इस मुद्दे को नागरिक समाज समूह के सामने उठाया, जैसे बस्ती सुरक्षा मंच और इस मुद्दे से चिंतित व्यक्तिगत लोगों तक पहुंचाया। माला और विक्रम ने मिलकर इस क्षेत्र से 1400 जरूरमंद लोगों के लिए राशन एकत्र किया, जिसमें 100 विधवा और एकल महिलाएं शामिल थीं।

इसी प्रकार, जो काम करने में असमर्थ हैं या शहर से कटे हुए हैं, प्रवासी मजदूर जो वन क्षेत्र में निवासरत हैं, वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। गुडिया ने उनकी मदद की। विक्रम ने प्रवासी मजदूरों की हालत जानने के लिए वहां का दौरा किया और उन्हें बस्ती सुरक्षा मंच और मकाम (MAKAAM),दिल्ली से जोड़ा। और उन्हें खाद्य व अन्य जरूरी राहत सामग्री दी। इस पहल के माध्यम से 110 प्रवासी परिवारों को राशन व जरूरी चीजें प्रदान कीं। सामुदायिक नेतृत्व, गुडिया, माला, विक्रम और मकाम (MAKAAM) दिल्ली की सामूहिक पहल से वंचित परिवारों तक मदद पहुंचाई गई।

महामारी का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्कूल और आंगनबाड़ी पर पड़ा, जो बंद हो गए। महिला किसानों को यह डर था कि उनकी स्मार्टफोन खरीदने की असमर्थता, और बिजली आपूर्ति की कमी के कारण उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और समुदाय में शाला त्यागी बच्चों की दर बढ़ेगी। रामाश्री, जो स्वयं किसान हैं, ने तालाबंदी के दौरान बढ़ती शाला त्यागी लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही लड़कियों के बाल विवाह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पूरी तरह शिक्षा में रूकावट होगी। उनके खुद के बच्चे पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ थे। इसके मद्देनजर, विक्रम, उसके भाई और दोस्तों ने स्वैच्छिक रूप से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। विशेषकर, 7 वीं कक्षा तक की लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाया। हालांकि उन्होंने रामाश्री के 5 बच्चों के साथ से पढ़ाना शुरू किया था, पर आज वे यमुना खदार के 250 बच्चों की पढ़ाई में सहायता कर रहे हैं। विक्रम ने जोर दिया कि इसका उद्देश्य कृषक समुदाय को सशक्त करना है, उनकी भावी पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सहायता की जा रही है, किसानों में जागरूकता लाई जा रही है, जिससे उनके समुदाय के शोषण में कमी लाई जा सके।

महामारी से सबक

बुनियादी अधिकारों की अनुपस्थिति के दौरान भी यमुना खदार के युवा और महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई। सामूहिक नेटवर्क बनाने की पहल की, इसमें सहायता के लिए नागरिक समाज समूह, जैसे मकाम (MAKAAM) दिल्ली, बस्ती सुरक्षा मंच को जोड़ा। इस तरह समुदाय ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। समुदाय और मजबूत हुआ, जिससे कोविड-19 और तालाबंदी के दौरान संकट में कमी आई, जो समुदाय की हालत बिगड़ गई थी, उसमें कमी आई। महामारी ने निश्चित रूप से मौजूदा समय की चुनौती और हाशिये के समुदायों की असुरक्षा पर प्रकाश डाला। लेकिन साथ ही इसका लोगों द्वारा सामना करने की ताकत को भी दिखाया। और यह भी कि उनकी क्षमता, संसाधनों और पहल से इस अभूतपूर्व महामारी का मुकाबला करने में सहायता मिली।

(यह अनुभव इस केस स्टडी से लिया गया है, जिसे विक्रम सिंह ने बताया है, उन्होंने कोविड-19 में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान मकाम (MAKAAM) के साथ मिलकर, यमुना खादर में, राहत कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई थी।)

फोटो सौजन्य: विक्रम सिंह

पुरुष और महिलाएं मई 2020 के महीने के दौरान फसलों की कटाई में लगे हुए हैं। तालाबंदी के कारण पास की मंडी में इन फसलों को बेचने में असमर्थ होने के कारण किसान कर्ज में डूबे हुए थे

10. कोविड-19 में महिला किसानों का वैकल्पिक माडल

लेखक : सी. भानुजा, निदेशक , REDS

फोटो सौजन्य रूरल एनव्हायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट सोसायटी

आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के 10 मंडलों के 58 गांव में ग्रामीण गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) पर्यावरण और विकास समिति (REDS) कार्यरत है। यह संस्था पिछले 25 सालों से महिला अधिकार, बाल अधिकार, मानव तस्करी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। संस्था ने सामूहिक खेती को बढ़ाया है, इसमें अधिकांश महिलाएं हैं, किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) हैं, जो मिश्रित खेती को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्र में व्याप्त गहरे कृषि संबंधी संकट को गहराई से देखना और समाधान ढूंढना, इसके काम हैं। कोविड19 के संदर्भ में, विशेषकर तालाबंदी के दौरान रेड्स ने महिला किसानों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से राहत के लिए जरूर कदम उठाए, बाजार की सुविधा और कमजोर तबके के परिवारों को खाद्य का वितरण किया। राहत व पुनर्वास का काम सरकारी विभागों के समन्वय से किया गया।

अचानक तालाबंदी ने छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति खराब कर दी। प्रवासी मजदूरों का संकट रोजगार, बाजार व खाद्य के अभाव में और बढ़ गया। इसी समय जो प्रवासी मजदूर, अन्य स्थानों पर गए थे, वे उनके गांव में वापस लौट आए। परिणामस्वरूप, ग्रामीण इलाकों में बड़ा सामाजिक-आर्थिक दबाव पड़ा। एकल महिला,और आत्महत्या करनेवाले परिवारों की महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। किसान और दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद क्रय-विक्रय के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में बड़े पैमाने पर समन्वय व हस्तक्षेप की जरूरत थी। और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य व जल्द नष्ट होने वाले उत्पादों को बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाने की जरूरत थी।

फोटो सौजन्य रूरल एनव्हायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट सोसायटी

हस्तक्षेप

पर्यावरण और विकास समिति (REDS) के समूह और किसान उत्पादक संगठन के नेतागणों ने मिलकर रणनीतिक योजना बनाई। और समस्या की पहचान, किसानों से उनका उत्पाद खरीदने और उस उत्पाद सामग्री को जरूरतमंदों को देने की योजना बनाई। पर्यावरण और विकास समिति (REDS) और किसान उत्पादक संगठन (FPO) ने मिलकर गांवों का दौरा किया। और वहां पाया कि हरी पत्तीदार सब्जी व सब्जियां आसानी से उपलब्ध हैं और केले और पपीता भी तैयार हैं। पर्यावरण और विकास समिति (REDS) और किसान उत्पादक संगठन (FPO) ने किसानों से बात की। किसान उत्पादक संगठन (FPO) ने उत्पाद को खरीदा और भोजन सामग्री को वितरित किया। इस भोजन सामग्री की टोकरी में 20 जरूरी चीजें शामिल थीं, जिसमें सूखा राशन, अंडा, सब्जियां, फल इत्यादि सामग्री शामिल थीं। इस सामग्री को ऐसे परिवारों को वितरित किया गया जो खाद्य सामग्री खरीदने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, मास्क, सेनेटाइजर को भी वितरित किया गया। किसान उत्पादक समूह (FPO) ने 9 तरह के पौष्टिक अनाज व दालें, बागवानी की किट, और मूंगफली के बीज भी महिला किसानों से खरीदे और अन्य किसानों को खरीफ के कृषि सत्र के लिए मुफ्त में दिए। जिले के 10 मंडल और 30 गांवों तक यह राहत गतिविधियां पहुंची।

अनंतपुर जिले के कामारूपल्ली गांव में संकट तब बढ़ा जब कोविड के मामले सामने आए और पूरे गांव को रेड जोन घोषित किया और यहां सख्त निगरानी लागू की गई। आर. सुशीलाम्मा, जो अनंत ग्रामीण महिला किसान उत्पादक संगठन की नेत्री हैं, ने सब्जियां और फलों को महिला किसान उत्पादकों से खरीदा, जरूरतमंद परिवारों में मुफ्त में वितरित किया।

इसी प्रकार, अनंतपुर मंडल का एक पूलाकुंटा गांव है, यहां के 220 परिवार जो दुधारू पशुओं के मालिक हैं, अपने पशुओं का दूध नहीं बेच सके। एफ.पी.ओ. बोर्ड की सदस्य अरूणाम्मा और पर्यावरण और विकास समिति (REDS) ने जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके, गांव के बाहर ही डेयरी स्थापित की, और गांव के लोगों से दूध एकत्र किया, और निजी व्यापारियों को बेचा। इस प्रकार, दूध उत्पादकों को दूध का बाजार मिला।

अनंतपुर जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। जिसमें सरकारी विभाग, पर्यावरण और विकास समिति (REDS) समेत कुछ गैर सरकारी संगठन शामिल थे। इसने राहत कार्य की समस्याओं का एक सर्वे किया। कई संस्थाओं व व्यक्तिगत लोगों को राहत कार्य को कई गांवों तक पहुंचाया और इस सहायता का विस्तार कई रूपों में किया गया, जैसे वित्तीय, सुझाव और समन्वय इत्यादि का सहयोग दिया। इन सभी को धन्यवाद दिया गया।

कुल मिलाकर, 7200 जरूरतमंद परिवारों तक राहत पहुंचाई गई, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, कृषक परिवार, एकल महिला, बुजुर्ग और प्रवासी मजदूर शामिल थे।

24 गांवों में 500 परिवारों को भोजन सामग्री दी गई। स्वास्थ्य व स्वच्छता उत्पाद 300 परिवारों को दिए गए, जिसमें महिलाएं व किशोरी लड़कियां शामिल थीं। 100 ऐसे परिवार, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें 10 किलोग्राम चावल और 5 किलोग्राम रागी दी गई।

73 परिवार, जो दुधारू पशु मालिक हैं, उन्हें पशु आहार दिया गया। ऐसे दो गांव कमारूपल्ली और पूलाकुंटा थे। इसके अलावा, 223 परिवारों को बीज दिए गए, जो कमारूपल्ली, कुरूगुन्ता, पूलाकुंटा और कोदीमी गांव के थे।

सबक

इससे यह साबित होता है कि समन्वय की पहल से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंची। महिलाएं एक साथ आईं, सामूहिक खेती की, सामूहिक रूप से खाद्य व बीज की खरीदी की, और अन्य जरूरतमंदों की सहायता की। किसानों के लिए बीजों की आपूर्ति ने उन्हें आगामी खरीफ सत्र के लिए खाद्य सुरक्षा दी, साथ प्रदान की, उन महिला किसानों को नकदी आमदनी हुई जो बीजों की उत्पादक थीं और जिनसे बीज खरीदे। सरकारी कृषि विभाग और जिला कलेक्टर ने महिला उत्पादक संगठन (FPO) की क्षमताओं को सराहा व माना। मार्कफेड के जरिए, एफ.पी.ओ. से उत्पादों की खरीदी में प्रबंधन करने के लिए आगे आने के लिए कहा। और अब कृषि विभाग की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिला किसान शामिल होंगी।

फोटो सौजन्य रूरल एनव्हायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट सोसायटी

11. कोविड-19 लॉकडाउन और महिला किसान: हस्तक्षेप की जरूरत

लेखक : फातिमा बर्नाड, SRED, तमिलनाडु

फोटो सौजन्य: SRED

खाद्य राहत पैकेज वितरित करते SRED एफपीओ

१९७९ में स्थापित सोसाइटी फॉर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (एसआरईडी) जमीनी स्तर पर काम करने वाले समुदायों के बीच जरूरत आधारित और मुद्दे आधारित आंदोलनों को बढ़ावा दे रही है। संचालनात्मक समुदायों का मुख्य केंद्र-बिंदु दलितों और ग्रामीण आदिवासी समुदायों की महिलाएं हैं।

एसआरईडी स्थानीय नेताओं और जन आंदोलन के नेताओं का क्षमता निर्माण करता है। स्थानीय स्तर पर, एसआरईडी महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जाति और लिंग भेदभाव, आजीविका चुनौतियों, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की कमी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। मैक्रो स्तर पर, SRED तमिलनाडु राज्य में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कार्यों के लिए SRED प्रचारित आंदोलनों और अभियानों, वकालत, नेटवर्किंग और गठबंधन निर्माण में अन्य आंदोलनों के साथ हाथ मिलाता है।

SRED स्थानीय नेताओं और जन आंदोलन के नेताओं की क्षमता निर्माण करता है। स्थानीय स्तर पर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जाति और लिंग भेदभाव, आजीविका चुनौतियों, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की कमी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। वृहद स्तर पर, SRED तमिलनाडु में राज्य स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचार कार्यों के लिए अभियानों, वकालत, नेटवर्किंग और गठबंधन निर्माण में विशिष्ट आंदोलनों और अन्य आंदोलनों के साथ हाथ मिलाता है।

SRED ने दलितों, भूमिहीन मजदूरों, इरुलर आदिवासी, ईंट भट्ठा मजदूरों, बैलगाड़ी मजदूरों, खदान मजदूरों, दलित महिलाओं (ग्रामीण महिला मुक्ति आंदोलन), यौनकर्मी, मथम्मा (देवी को समर्पित दलित महिलाएं) और रेहड़ी-पटरी वाले के बीच ग्रामीण मजदूर आंदोलनों को संगठित

फोटो सौजन्य: SRED

महिला किसान समूहों के बीच बांटे गए बीज पैकेट

किया और बढ़ावा दिया। SRED द्वारा क्षमता निर्माण और अद्यतन सहायता प्रदान की जाती है। इन आंदोलनों का केंद्र-बिंदु भूमि और राजनीतिक अधिकारों पर है।

इन समुदायों की महिलाओं को कृषि-पारिस्थितिकी और जैविक कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, भले ही उनके पास भूमि न हो। उन्हें सरकारी भूमि का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो अन्य जाति समुदायों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण के अधीन हैं और उस पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए। चूंकि उन्होंने भूमि जोत की आवश्यकता को आत्मसात कर लिया है, उन्होंने अपने गांवों में सरकारी भूमि का पता लगाया, और राजस्व अधिकारी की मदद से 7.55 एकड़ और फिर 5 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया और सामूहिक रूप से खेती शुरू की। फसल के बाद, खेत पर काम करने वाली प्रत्येक महिला को एक हिस्सा मिलता था। पाँच ज़िलों में ऐसी महिलाओं के सामूहिक खेत हैं जहां महिलाएं सामूहिक खेती में संलग्न हैं।

कोविड-19 महामारी और हस्तक्षेप

कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप 24 मार्च 2020 को शुरू हुआ लॉकडाउन कुछ ढिलाई सहित अब तक जारी है। गरीबों को राशन या आजीविका के स्रोत के बिना छोड़ दिया गया था। महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा। सरकारों ने हाशिए के लोगों को जीवित रहने के साधन उपलब्ध कराने की परवाह नहीं की; उन्होंने केवल उन्हें घरों में बंद रहने के लिए कहा और आनन-फानन में महिलाओं की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए सरकारी शराब की दुकानें खोल दीं। इससे महिलाओं पर हिंसा और बढ़ गई। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। परिवारों के पास न तो काम था और न ही अनाज खरीदने के लिए पैसे। अनाज की अनुपलब्धता ने परिवार में हिंसा बढ़ा दी। अपनी आय के बिना, महिलाओं का बहुत नुकसान हुआ - ऋण चुकाने या परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ।

जब हर कोई अपने परिवारों और गांवों के अस्तित्व के साधन खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, शकीला नामक एक महिला किसान समूह की नेता ने विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने अनाज और सुरक्षात्मक सामग्री से युक्त राहत सामग्री एकत्र की और उसे गाँववालों के बीच वितरित किया। यह काफी बड़ा काम था, फिर भी पुलिस से बचते-बचाते, वह घर-घर गई और जो भी मिला उसे इकट्ठा किया। उसने स्वयंसेवकों की एक टीम का गठन किया। उन्होंने बुद्ध मूवमेंट ट्रस्ट से 4 बार प्रावधान जुटाए और उन्हें अपने गांव में वृद्ध एकल महिलाओं, शारीरिक रूप से अक्षम, आदिवासियों, धोबी महिला परिवारों को वितरित किया।

SRED ने अपने सामूहिक कृषि में जुटीं हर महिला किसान को 1000 रुपये दिए और तीन अलग-अलग अवसरों पर 1000/- रुपये की खाद्य सामग्री वितरित की। शकीला ने स्वेच्छा से SRED का समर्थन किया और इसे अन्य सामूहिक कृषि नेताओं को वितरित करने में मदद की।

जब उन्हें जिले के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी गई, तो शकीला और उनकी टीम ने उनके सामूहिक खेत में जो कुछ बचा था, उसे काटना शुरू कर दिया। जब उन्हें जिले के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी गई, तो शकीला और उनकी टीम ने उनके सामूहिक खेत में जो कुछ बचा था, उसे काटना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य सामूहिक कृषि नेताओं को भी बुलाया और सामूहिक कृषि उपज का उपयोग करने और अपने संबंधित गांवों और कस्बों के परोपकारी लोगों के समर्थन के साथ-साथ राज्य सरकार, बुद्ध आंदोलन ट्रस्ट और एसआरईडी का समर्थन जुटाने का मार्गदर्शन किया। शकीला ने कोविड-19 प्रभावित परिवारों की पहचान की और उन्हें महामारी से बचने में मदद की।

अपने-अपने गाँवों में उन्होंने सामुदायिक रसोई की स्थापना की, और भोजन पकाकर गाँव वालों में बाँट दिया। राज्य सरकार ने 3 एलपीजी मुफ्त में उपलब्ध कराई।

उसके कार्य ने कई लोगों की जान बचाई, भोजन की अनुपलब्धता के कारण गरीबी से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं को रोका। SRED के माध्यम से 3000 परिवार खाद्य किट, फेस मास्क, कबसूरा आयुर्वेदिक पेय (प्रतिरक्षा बूस्टर और निवारक पेय) के अलावा अपने खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त करने में सक्षम थे।

महामारी के खतरे और आवाजाही पर प्रतिबंध के बावजूद, उन्होंने महिला किसानों के साथ सामूहिक फार्म को जीवित रखा। अन्य महिलाओं को अब सामूहिक खेती की इस तरह की पहल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे भविष्य में किसी भी तरह की चुनौतियों और आपदा का सामना कर सकती हैं। पड़ोसी ग्रामीण इन महिला किसान समूहों को अपने गांव में भी सामूहिक खेत शुरू करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

सामूहिक रूप से भूमि के स्वामित्व में ताकत है। कोरोना वायरस के खिलाफ अधिक प्रतिरक्षा पैदा करना- वायरस से डरे बिना- प्रत्येक महिला जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच गई थी। सामूहिक खेत के सदस्यों के रूप में वे एकजुट खड़े रहे, एक-दूसरे का समर्थन किया और दिखाया कि एक संयुक्त कारण के लिए एकजुट होना किसी भी महामारी की चुनौती को दूर करने में मदद करता है। आंदोलन मर नहीं रहे हैं, बल्कि मजबूत हो रहे हैं, खासकर महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में।

फोटो सौजन्य: SRED

महिला किसान एक साथ आ रही हैं और सामूहिक खेती कर रही हैं

12. कोविड -19 के मद्देनजर बाजरे का पुनरुत्थान

लेखक: विमेनस् इनिशिएटिव्स (WINS)

फोटो सौजन्य: WINS

विमेनस् इनिशिएटिव्स (WINS), पिछले तीन वर्षों में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के 35 गांवों में अनुसूचित जाति के 1080 काश्तकारों और कृषि श्रमिकों को मजबूत और सक्षम बनाने में सफल रहा है। इससे वे आर्थिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बन गए हैं। वे अब प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, किसान उत्पादक संगठनों जैसे आर्थिक संगठनों में अपने कौशल का निवेश करने के लिए आश्वस्त हैं। अब वे महिला किसानों के अधिकारों के लिए 'महिला रायथु वेदिका' मंच के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सशक्त हैं। इन महिलाओं ने खेती में और गरीब और हाशिए की महिलाओं के सामूहिक ज्ञान में योगदान करने के लिए अपनी शिक्षा का विस्तार करने में जो ऊर्जा, प्रतिबद्धता और साहस दिखाया है, वह प्रशंसनीय है।

महिलाओं के लिए महीने भर का लॉकडाउन असहनीय था। लॉकडाउन के विस्तार ने उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया, उन्हें और उनके परिवारों को भूखे रहने के लिए मजबूर कर दिया और उनका मनोबल गिरा दिया। परिवहन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने से फसल की मार्केटिंग करना, मवेशियों को चराना मुश्किल हो गया। नतीजन, फसलें सूख गईं, मवेशी भूखे मर गए और दूध की पैदावार कम हो गई। सख्त सरकारी एडवाइजरी के चलते कोविड-पॉजिटिव मामलों वाले मोहल्लों में बैरिकेड्स लगाए गए थे। इससे उन महिलाओं को सदमा लगा जो पहले से ही बिना काम के घर के अंदर बंद थीं। इसके अलावा, उन्हें इस भयानक संक्रमण के अनुबंध के तर्कहीन भय से भी जूझना पड़ा, जो इसके आसपास के मिथकों और भ्रांतियों से जुड़ा हुआ था। सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त सूखे राशन वाले कोविड राहत पैकेज से गरीब महिलाओं को कोई

फोटो सौजन्य: WINS

फायदा नहीं हुआ क्योंकि कतारें लंबी थीं और सरकारी आदेश के अनुसार दुकानें जल्दी बंद हो गईं। उन्हें अक्सर खाली हाथ और भूखा लौटना पड़ता था।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सीजी गैलू और रोमपिचेरला मंडल एक वर्षा आधारित क्षेत्र है। यहां 60% किसान साल में केवल दो बार हाइब्रिड टमाटर उगाते हैं, जिससे अच्छी कीमत मिलती है लेकिन निवेश की भारी लागत आती है। वे दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं। आम के बगीचे हों या मूंगफली, मोनोक्रॉप कल्चर ने उन्हें संकट में डाल दिया। उनके पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े थे जो ज्यादातर बंजर रह गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह काम करने के लिए कभी भी लायक नहीं होगा। फिर WINS ने महिला किसानों को संगठित करने के विचार के साथ प्रवेश किया, उन्हें अपने किचन गार्डन में उगाने के लिए बारह प्रकार की सब्जियां दीं, जो इस कठिन समय में उनके काम आई।

यद्यपि बाजरा उनका मुख्य आहार था, यह चालीस वर्षों से लगभग विलुप्त हो गया था। बाजरे की खेती उनके लिए पहुंच से बाहर हो गई थी क्योंकि उनके गांवों में यह खेती का केवल 1% हिस्सा था। इसके अलावा, अमीर लोगों ने प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और कोविड से लड़ने के लिए स्वस्थ भोजन के स्रोत के रूप में बाजरा की सिफारिश करने वाले विशेषज्ञों के साथ इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। हमारे द्वारा उन्हें इस बारे में शिक्षित करने के बाद, महिलाएं पौष्टिक आहार के एक किफायती स्रोत के रूप में बाजरा की खेती में वापस चली गईं। यह गाय आधारित प्राकृतिक खेती के तरीकों के साथ किचन गार्डन और बागवानी फसलों के लिए उनके बचाव में आया।

पारंपरिक तरीकों और फसलों के पुनरुद्धार से प्रभावित महिला किसानों को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

MRV ने काश्तकार और छोटे जोत वाली दोनों तरह की महिलाओं की पहचान की, जो कृषि कार्य में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने की इच्छुक थीं। जिन सदस्यों ने जैविक खेती के तरीकों के ज्ञान और उपयोग का प्रदर्शन किया था और लाभ प्राप्त किया था, उन्हें चुना गया था। 225 महिलाओं ने रागी/नाचनी, 110 बाजरा, और 40 कोरले बाजरा (brown top millet) उगाना पसंद किया। सामूहिकों ने बाजरे की फसल उगाने में कई चुनौतियों के बारे में चर्चा की - डंठल का अंकुरित न होना, बीज का मुरझाना, फसल के समय फसल न सूखना, बारिश के कारण बीज सड़ना, पक्षियों और वन्यजीवों द्वारा फसल पर हमला करना, इत्यादि। उन्हें बाजरा में सफलता की आशा मिली।

समूह इसमें शामिल हो गए क्योंकि बाजरा बारिश पर निर्भर, कम अवधि की फसल है। वे प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण होने वाली अनिश्चित परिस्थितियों में भी भविष्य में आत्मनिर्भर बनने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति आश्वस्त थे।

श्रम प्रधान कृषि कार्य में महिलाओं के योगदान को तुच्छ समझा जाता है और इसे महत्वहीन माना जाता है। महिलाएं अपने अस्तित्व के संघर्ष में खुद को मुखर नहीं कर सकीं। WINS के समर्थन ने उन्हें शिक्षित करके, उनके आत्मविश्वास का निर्माण करके, सिस्टम में मौजूद चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अधिकारों के दावे को सुगम बनाने के लिए इन महिला किसानों को संगठित करने में मदद की। WINS ने पहली बार उन गांवों में कदम रखा जहां कृषि विभाग का कोई विशेषज्ञ या पदाधिकारी कभी नहीं गया था।

WINS ने पाया किया कि भूख से लड़ना संभव है और यह उत्पादकों (महिलाओं) के हाथों में है। उनके पास पौष्टिक और पर्याप्त भोजन खाने के कारण और अधिकार हैं। यह केवल कृषि से संबंधित कार्य नहीं है, बल्कि लिंग पर अंतर्दृष्टि है, और महिलाओं को खुद को क्षमता वाले व्यक्तियों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि भोजन स्वास्थ्य का आधार है। अनाज के उत्पादक के रूप में, वे सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

13. हापुड़ की महिला किसानों की आर्थिक एकता और आत्मनिर्भरता की यात्रा

लेखक : सुलेखा सिंह

पृष्ठभूमि

एक्शन इंडिया कई दशकों से जमीनी स्तर की महिलाओं, किशोर लड़कियों और वंचित समुदायों के बच्चों के मुद्दों के साथ उनके स्वास्थ्य, अधिकारों और अधिकारों को संबोधित करने के लिए जुड़ा हुआ है। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए 2011 में दिल्ली से यूपी के हापुड़ ब्लॉक तक काम बढ़ाया गया। उन्होंने महिला किसानों के मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की, विशेष रूप से उनके अदृश्य काम और भूमिका की मान्यता, और 4 गांवों में 200 महिला श्रमिकों को संगठित किया। 10-12 महिलाओं की एक टीम जो खेतिहर मजदूर हैं, अब इस प्रक्रिया का नेतृत्व करती हैं।

कोविड के दौरान हस्तक्षेप

जब तालाबंदी की घोषणा की गई तो सामूहिक पट्टा और उत्पादन प्रणाली टूट गई। इसका कारण यह था कि जमीनदार अपनी जमीन को पट्टे पर देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके परिवार के सदस्य घर लौट आए और उन्होंने अपने खेतों पर खुद काम करना चुना। इसलिए समूह की 10-12 महिलाओं ने आय खोने के इस संकट को दूर करने के लिए वैकल्पिक अवसरों की तलाश करने का फैसला किया।

अपने-अपने पड़ोस में विभिन्न बचत गटों से संबंधित महिला सदस्यों ने मसाला प्रसंस्करण और बिक्री का एक वैकल्पिक आर्थिक उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक महिला ने अपने-अपने बचत गट से कर्ज़ लेकर अपने आस-पास के 20 गांवों के स्थानीय बाजारों में मसालों को खरीदने और इन उत्पादों को मूल्यवर्धन, पैकेज और खुदरा बिक्री के लिए संसाधनों को कार्यशील पूंजी के रूप में जमा किया। धीरे-धीरे उनके उत्पादों की सुनिश्चित गुणवत्ता के कारण एक स्थिर मांग विकसित हुई और उनकी आपूर्ति श्रृंखला दिल्ली में ग्राहकों के लिए उनके सामाजिक कार्य नेटवर्क के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 900 घरों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुई। नियमित फीडबैक उन्हें एक नियमित बाजार स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

हस्तक्षेप के प्रभाव

हापुड़ ब्लॉक दिल्ली के आसपास है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के भीतरी इलाकों में वैकल्पिक आर्थिक गतिविधियों के लिए 12 महिलाओं के इस समूह को संगठित करके, ये महिलाएं संकट से निपटने के लिए आर्थिक मजबूती के नए रास्ते तलाशने में सक्षम थीं। अपने मौजूदा संस्थागत नेटवर्क के माध्यम से वे आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर स्थापित करने के साथ-साथ अपनी एकजुटता को मजबूत करने में सक्षम थे। प्रत्येक महिला ने कच्चे माल में निवेश करने के लिए ऋण लेकर योगदान दिया, उन्होंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से मसाला पीसने और उत्पादों को बाजार में लाने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने अपने व्यवसाय में विविधता लाई और लाभ पर मूल्यवर्धन और बेचने के लिए गेहूं भी खरीदा।

आउटरीच

इस काम से वित्तीय स्थिरता मिलने की वजह से समूह को कोविड के मुश्किल दौर में भी अपने सामूहिक उद्यम को जारी रखने और विस्तार करने की प्रेरणा मिली है। अब 12-15 महिलाओं की सदस्यता वाले 75 बचत गट अपनी उपज की मांग कर रहे हैं, जिससे इन महिलाओं के लिए एक स्थिर मांग और आय सुनिश्चित हो जाएगी। वे अपने बाजार को अन्य गांवों के साथ-साथ पूरे दिल्ली में विस्तारित करने की क्षमता तलाश रहे हैं। अब एक व्यवसाय योजना तैयार की गई है जिससे वे अपने उद्यम का विस्तार करने और अधिक महिलाओं को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

परिणाम

महिलाओं का समूह अब ज़ीरा, अजवायन, मेथी, मक्का, बाजरा, गुड़, सरसों का तेल, चना, चावल, दालें आदि को शामिल करने के लिए अपने उत्पादों की रेंज का विस्तार कर रहा है। एकजुटता अर्थव्यवस्था के माध्यम से खुद का समर्थन करने के लिए। वे धीरे-धीरे सामूहिक प्राकृतिक खेती के लिए फिर से पट्टे पर भूमि लेने और अपने लिए और साथ ही व्यवसाय के लिए उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। वे शहरी बाजारों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं जहां कीमत और पैमाने के फायदे मौजूद हैं। व्यवसाय नियोजन, मूल्य निर्धारण और विपणन में उनके नए अर्जित कौशल ने उन्हें भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए व्यवहार्य संपत्ति बनाते हुए आत्मविश्वास और कुछ वित्तीय स्थिरता प्रदान की है। वे प्राकृतिक खाद और स्थानीय बीज के आधार पर एक प्राकृतिक कृषि मूल्य वर्धित महिला उद्यम के रूप में विकसित होने की योजना बना रहे हैं ताकि सभी के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए रासायनिक कृषि पद्धतियों को बदला जा सके। उद्यम में अधिक कमजोर महिलाओं को शामिल करना, उनके अपने समुदायों की महिलाओं के लिए स्थिर आजीविका और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना एक प्रतिबद्धता है। वे एक बीज बैंक में निवेश करने की योजना बना रहे हैं और साथ ही महिला किसानों के लिए भलाई और सम्मान की बहाली की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। इस सामूहिक ने उन्हें उन संसाधनों और कौशलों को आकर्षित करने में सक्षम बनाया है जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से असंभव होते और उनके बाजारों से निकटता ने उन्हें क्षैतिज रूप से प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया।

प्रमुख शिक्षा

मौजूदा कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाकर उनकी अनुकूलन क्षमता उभरी है, और सामूहिक एकजुटता ने उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने सीखा है कि गुणवत्ता और मूल्य मानकों को स्थानीय या बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इस उद्यम ने इन महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सामूहिक एकजुटता की नई आशा दी है।

आगे के लिए सबक

इस खंड की कहानियां यह दिखाती हैं कि सामान्य स्थिति की अपेक्षा, कोविड-19 के दौरान किस तरह से महिलाओं के नेतृत्व में अलग ढंग से काम हुआ। इन महिला नेतृत्व की कहानियों में भविष्य के लिए काफी कुछ सीखने को भी है।

कहानियां दिखाती हैं कि :

1. पहली बात, इस कठिन समय में महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित किया कि उनके सदस्य व अन्य गरीबों, एकल महिलाएं की अनाज तक पहुंच थी। उन तक अनाज व भोजन सामग्री पहुंचाई गई।
2. यह भी सबक साफ तौर उभरा था कि इस दौरान महिला सामूहिकता सामने आई और उनके नेतृत्व में न केवल मौलिक विचारों का प्रसार-प्रसार हुआ, बल्कि वे जरूरतमंद लोगों, सबसे कमजोर महिलाओं, और काम के तरीकों में सामंजस्य स्थापित करने और हस्तक्षेप कर जरूरतमंद महिलाओं के लिए जो भी उचित हो, उसे करने के लिए बहुत संवेदनशील थीं। कोविड-19 में लिंग प्रभाव के साथ, इस महिला सामूहिकता ने उनके स्वास्थ्य, उपचार में बड़ी भूमिका निभाई, और संवेदनशीलता व व्यावसायिकता के साथ महिलाओं तक पहुंचीं।
3. एक अन्य महत्वपूर्ण सबक है महिला सामूहिकता का, स्थानीय, विकेन्द्रीकृत ढांचे का, जिसने सबसे जरूरतमंद लोगों की खाद्य व भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। विशेषकर, जब जलवायु की अनिश्चितता हो और आपूर्ति कड़ी की बाधित हो सकती हो, तब इस तरह की पहल बहुत जरूरी हो जाती है। महिला नेतृत्व ने लगातार परिवर्तित पुर्नचक्रण अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की राह दिखाई और टिकाऊ आपूर्ति की श्रृंखला बनाकर यह काम किया।
4. थनल, केरल, WGLWO और एच.डी.आर.सी, गुजरात और कोरची महासभा महाराष्ट्र आदि की कहानियां यह दिखाती हैं कि किस तरह अल्पकालीन व तात्कालीन सोच से परे महिलाओं ने काम किया। उन्होंने मध्यम अवधि के लिए विचार किया और स्थानीय स्तर पर उत्पादन पर जोर दिया। जैविक सब्जी की बागवानी, आगामी कृषि सत्र के लिए बीजों की उपलब्धता पर जोर दिया। तालाबंदी के दौरान लोगों ने खेती के बीजों का भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया था।
5. मकाम (MAKAAM), दिल्ली और यमुना खदार की कहानियां बताती हैं कि विशेषकर, संकट के समय, ग्रामीण शहरी इलाकों की बदलती जरूरतों को समझने की जरूरत है। प्रशासन की दृष्टि में, शहरी क्षेत्रों में कृषक समुदाय की महिलाएं अदृश्य सी हैं। इन दोनों कहानियों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का गठबंधन बना और वे राहत कार्य में पारस्परिक मदद के लिए आगे आए और दीर्घकालीन के लिए ग्रामीण शहरी एकजुटता की राह दिखाई।

मकाम (MAKAAM) का गठबंधन दो तरह से सक्रिय है, एक जमीनी राहत कार्य में शामिल है, पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नीति आयोग और राज्य सरकार आदि के साथ अलग मंच पर भी उसकी सक्रियता है। और खाद्य और रोजगार संबंधी सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें देता है। खाद्य वितरण प्रणाली की तत्कालीन मांग को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सार्वजनीन होना चाहिए, न कि उसे जिनके पास दस्तावेज हैं, उन तक ही सीमित किया जाए। इसका विस्तार अनाज ही नहीं, पौष्टिक आहार तक होना चाहिए। मकाम (MAKAAM) की बड़ी मांग सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम के विस्तार की है, जिसमें रोजगार को सुनिश्चित किया जाए और महिला किसानों के उत्पादक काम को आगे बढ़ाया जाए।

दीर्घकालीन समय में इससे महिलाओं को पारिस्थितिकीय आधारित ग्रामीण आजीविका के मौके मिल सकते हैं। उन्हें पुर्ननिमित करने और सुदृढ़ करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए बहुत बड़े निवेश कृषि, जल, और अन्य सामूहिक संसाधनों में करने की जरूरत है, जिन पर महिलाएं निर्भर हैं। ऐसी नीतियां भी बनें, जो उन संसाधनों तक पहुंचने में उनकी रक्षा व मदद करें, न कि उन्हें इन संसाधनों से बेदखल करें। यह एक दृष्टि है जो महिला मानव अधिकार का ध्यान दिलाती है और मौजूदा विकास की सोच में बदलाव करती है, नए तरीके से सोचने और संसाधनों व अधिकारों को पुर्नवितरित करने से यह संभव है।

सबसे महत्वपूर्ण है हम यह विश्वास करते हैं कि राज्य इससे बहुत कुछ सीख सकता है। महिला समूह व सहयोगी संस्थाओं ने जो सामाजिक-आर्थिक एकजुटता की राह दिखाई है, उसका अनुसरण करने की जरूरत है।

हम सबसे पहले उन महिला किसानों और उनकी सामूहिकता के आभारी हैं, जिन्होंने संकट के बीच नई दिखाई और उस पर अमल किया, और यह दिखाया कि हमेशा ही विकल्प मौजूद हैं।

इस दस्तावेज के संकलन में सी.भानुजा, पर्यावरण और विकास समिति (REDS), कुमारीबाई जामकातन, कोरची महासभा, सेजल दांद और नीता हार्डीकर, आनंदी,डा.सोमा केपी, सुलेखा (एक्शन इंडिया), मुबाशीरा जैदी, सुवर्णा दामले, निर्मला काथवथे, प्रकृति, विक्रम सिंह आदि ने योगदान दिया। इसमें रीशा रामाचंद्रन और मुबाशीरा जैदी, एचडीआरसी (HDRC), डब्ल्यूजीडब्ल्यूएलओ (WGWLO), उत्थान, गुजरात और थनल केरल ने भी सहायता की, हम इन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे।

हम ग्लोबल टॅपेस्त्री ऑफ ऑल्टरनेटिव्हस (GTA) का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने सेमिनार आयोजित किया और वही से मकाम (MAKAAM) को इन कहानियों को संकलित करने की प्रेरणा मिली।

इस पूरी पहल का समन्वय शिल्पा वासावरा और सीमा कुलकर्णी ने किया। साथ में सहयोग के लिए उषा सीतालक्ष्मी, डा. सोमा केपी, आशालता, मकाम की नेशनल फेसिलीटेशन टीम (NFT) ने किया। इसके लिए इन सभी का धन्यवाद। हम गार्गी माशुलकर, नेशनल को-आर्डीनेटर मकाम और उन सभी मकाम के मित्रों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इसका समर्थन व सहयोग किया।

मकाम के लिए संपर्क विवरण: गार्गी मांगुलकर, mahilakisan.makaam@gmail.com/9604779666

बाबा मायाराम और गार्गी मंगुलकर द्वारा हिंदी अनुवाद और नवीद दादन ने डिजाइन किया है।

इस प्रकाशन को हेनरिक बोल फाउंडेशन और मिसेरियोर द्वारा समर्थित किया गया है।

उद्धरण : विकल्प संगम, उम्मीद के बीजः महिलाओं ने दिखाई बदलाव की राह, खंड-4, विकल्प संगम कोर ग्रुप, पुणे, मार्च, २०२१.

यह प्रकाशन कापीलेफ्ट प्रकाशन है। यह गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से पुनर्प्रकाशन किया जा सकता है। बेहतर होगा कि श्रेय एवं उद्धरण के साथ, और कोई भी पुनर्प्रकाशन समान शर्तों के साथ और बिना किसी कापीराइट के होना चाहिए।

श्रृंखला के अन्य संस्करणों के लिए (कई भाषाओं में और ग्राफिक उपन्यास रूप में), देखें:
'साधारण' लोगों का असाधारण कार्य : खंड 1, ग्राफिक उपन्यास
सामुदायिक वन अधिकार और महामारी: ग्राम सभाएं मार्ग प्रशस्त करती हैं : खंड 2, ग्राफिक उपन्यास
पश्चिमी हिमालय में महामारी लचीलापन : खंड 3
आशा, अनुकूलन क्षमता और सामूहिक सपने की युवा कहानियां : खंड 5

विकल्प संगम, मानव और पारिस्थितिक कल्याण के लिए न्यायसंगत, समतापूर्ण और टिकाऊपन के रास्ते पर काम करनेवाले आंदोलनों, समूहों और व्यक्तियों को एक साथ लाने का एक मंच है। यह विकास के वर्तमान माडल और इसकी असमानता और अन्याय की संरचनाओं को खारिज करता है, और व्यवहार और दृष्टिकोण में विकल्पों की खोज करता है। देशभर के लगभग ७० आंदोलन और संगठन इसके कोर ग्रुप के सदस्य हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखे :
http://www.vikalpsangam.org/about/

Alternatives India VIKALP sangam
www.vikalpsangam.org

- ACCORD (Tamil Nadu)
- Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
- Alternative Law Forum (Bengaluru)
- Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
- BHASHA (Gujarat)
- Bhoomi College (Bengaluru)
- Blue Ribbon Movement (Mumbai)
- Centre for Education and Documentation (Mumbai)
- Centre for Environment Education (Gujarat)
- Centre for Equity Studies (Delhi)
- CGNetSwara (Chhattisgarh)
- Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala)
- ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
- Deccan Development Society (Telangana)
- Deer Park (Himachal Pradesh)
- Development Alternatives (Delhi)
- Dharamitra (Maharashtra)
- Ekta Parishad (several states)
- Ektha (Chennai)
- EQUATIONS (Bengaluru)
- Extinction Rebellion India (national)
- Gene Campaign (Delhi)
- Goonj (Delhi)
- Greenpeace India (Bengaluru)
- Health Swaraaj Samvaad (national)
- Ideosync (Delhi)
- Jagori Rural (Himachal Pradesh)
- Kalpavriksh (Maharashtra)
- Knowledge in Civil Society (national)
- Kriti Team (Delhi)
- Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
- Local Futures (Ladakh)
- Maadhyam (Delhi)
- Maati (Uttarakhand)
- Mahila Kisan Adhikar Manch (national)
- Mahalir Association for Literacy, Awareness and Rights (MALAR)
- Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan)
- National Alliance of Peoples' Movements (national)
- Nirangal (Tamil Nadu)
- North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
- People's Resource Centre (Delhi)
- Peoples' Science Institute (Uttarakhand)
- Revitalising Rainfed Agriculture Network (national)
- reStore (Chennai)
- Sahjeevan (Kachchh)
- Sambhaavnaa (Himachal Pradesh)
- Samvedana (Maharashtra)
- Sangama (Bengaluru)
- Sangat (Delhi)
- School for Democracy (Rajasthan)
- School for Rural Development and Environment (Kashmir)
- Shikshantar (Rajasthan)
- Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh)
- Sikkim Indigenous Lepcha Women's Association
- Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
- SOPPECOM (Maharashtra)
- South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
- Students' Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh)
- Thanal (Kerala)
- Timbaktu Collective (Andhra Pradesh)
- Titli Trust (Uttarakhand)
- Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
- URMUL (Rajasthan)
- Vrikshamitra (Maharashtra)
- Watershed Support Services and Activities Network (Andhra Pradesh/Telangana)
- Youth Alliance (Delhi)
- Yugma Network (national)
- Let India Breathe
- Travellers' University
- Dinesh Abrol
- Sushma Iyengar